बजट: 2022-23

तालिका 1: बजट एक नजर में

(करोड़ रु. में)

	मद	2020-21 (पूर्व-वास्तविक)	2021-22 (बजट अनुमान)	2021-22 (संशोधित अनुमान)	2022-23 (बजट अनुमान)
क.	राजस्व प्राप्तियां	52495	97141	84923	102322
ख.	राजस्व व्यय	52634	68804	67237	71615
	राजस्व अधिशेष (क-ख)	**-139**	**28337**	**17686**	**30707**
ग.	पूंजी प्राप्तियां	14923	11480	17522	10628
घ.	पूंजी व्यय	14784	39817	35208	41335
	पूंजी क/ग घाटा (ग-घ)	**139**	**-28337**	**-17686**	**-30707**
ड.	कुल व्यय	67418	108621	102445	112950
च.	कुल प्राप्तियां	67418	108621	102445	112950
छ.	**राजकोषीय घाटा**	**10794**	**10647**	**16456**	**9570**
ज.	**गैर-वित्तोषित /अपेक्षित अतिरिक्त संसाधन**	**0**	**0**	**0**	**0**

'-' चिह्न घाटे को दर्शाता है

रु. जहां से आता है।
(2022-23)

ग्राफ : 1

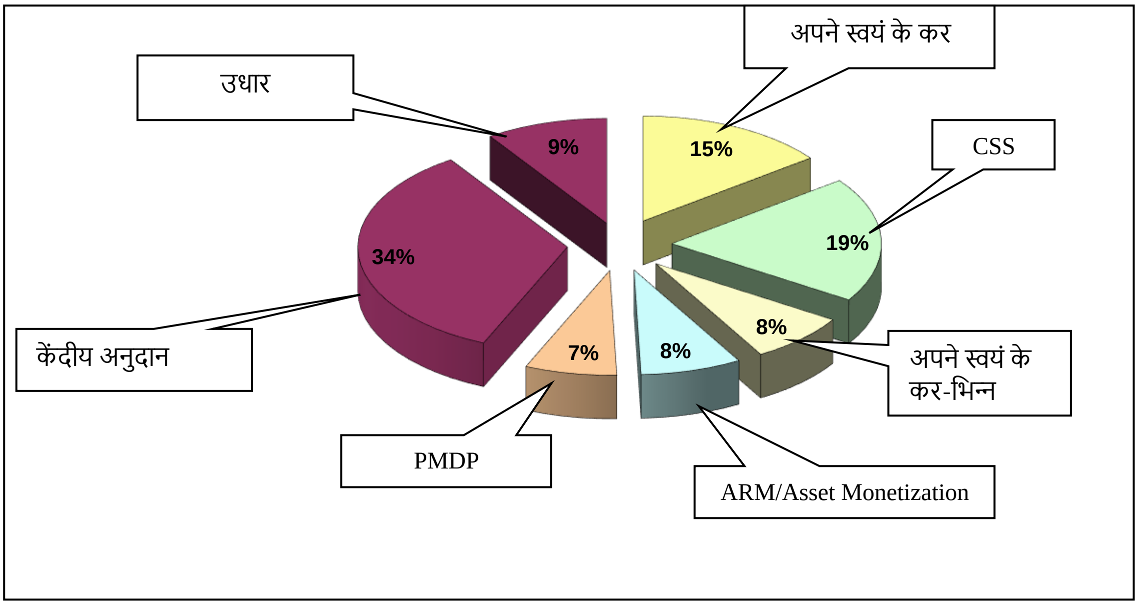

रु. : जहां जाता है।
(2022-23)

ग्राफ: 2

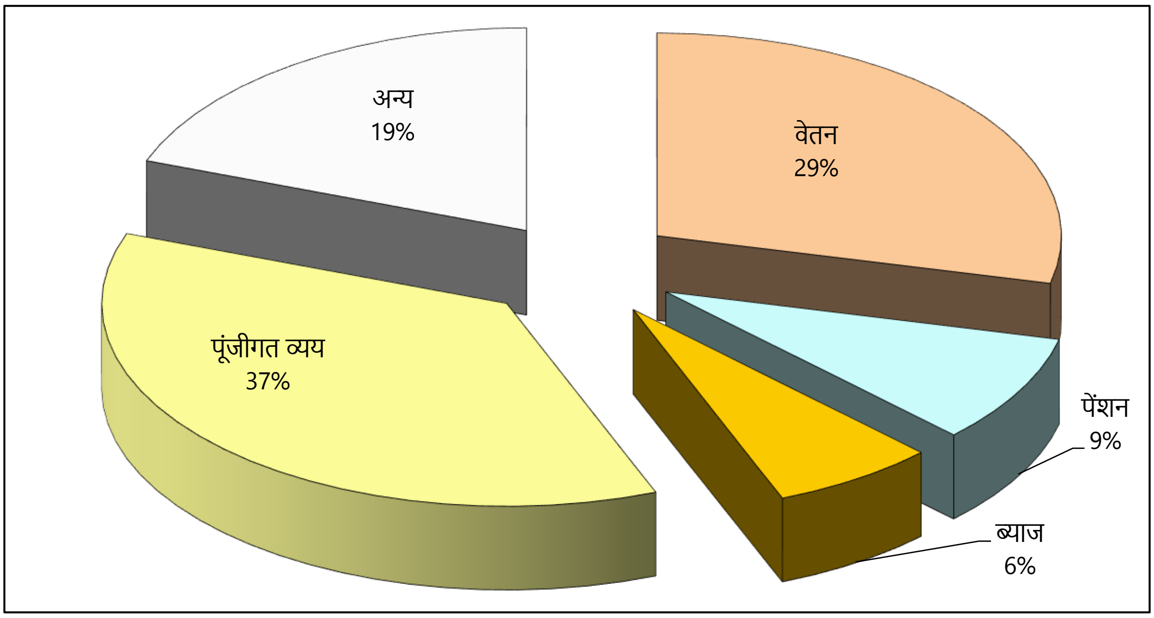

आर्थिक विकास
मौजूदा मूल्यों पर सकल घरेलू उत्पाद

ग्राफ : 3 (करोड़ रु. में)

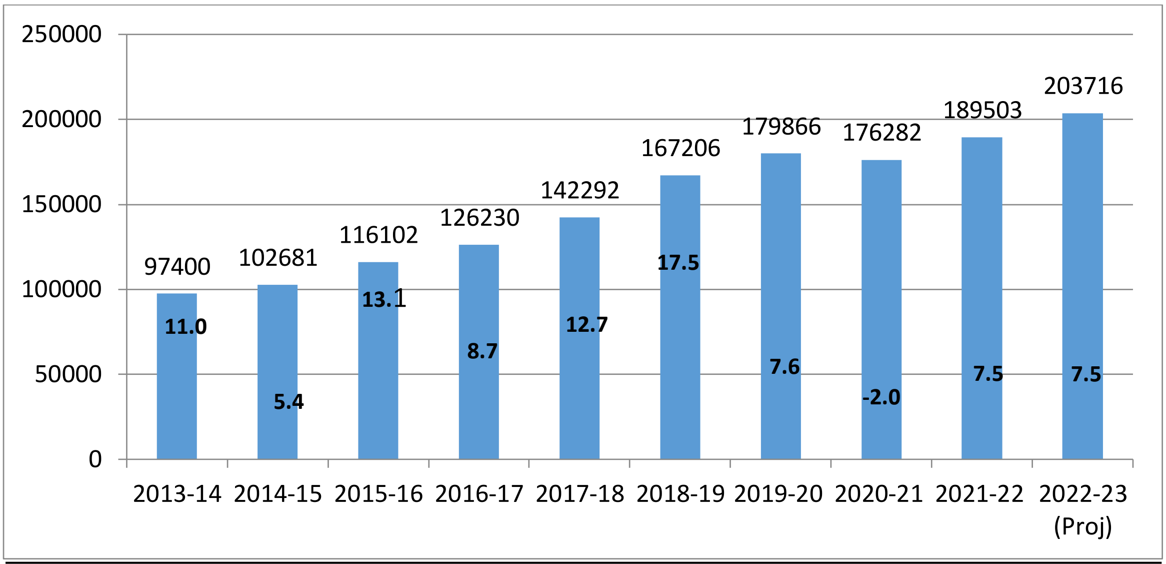

(कोष्ठकों में वृद्धि के % की गणना आधार वर्ष 2011-12 पर की गई है) प्रोज् = प्रोजेकटेड

कर और राजस्व – करभार और कुशलता

ग्राफ: 4 स्व-राजस्व %जीडीपी

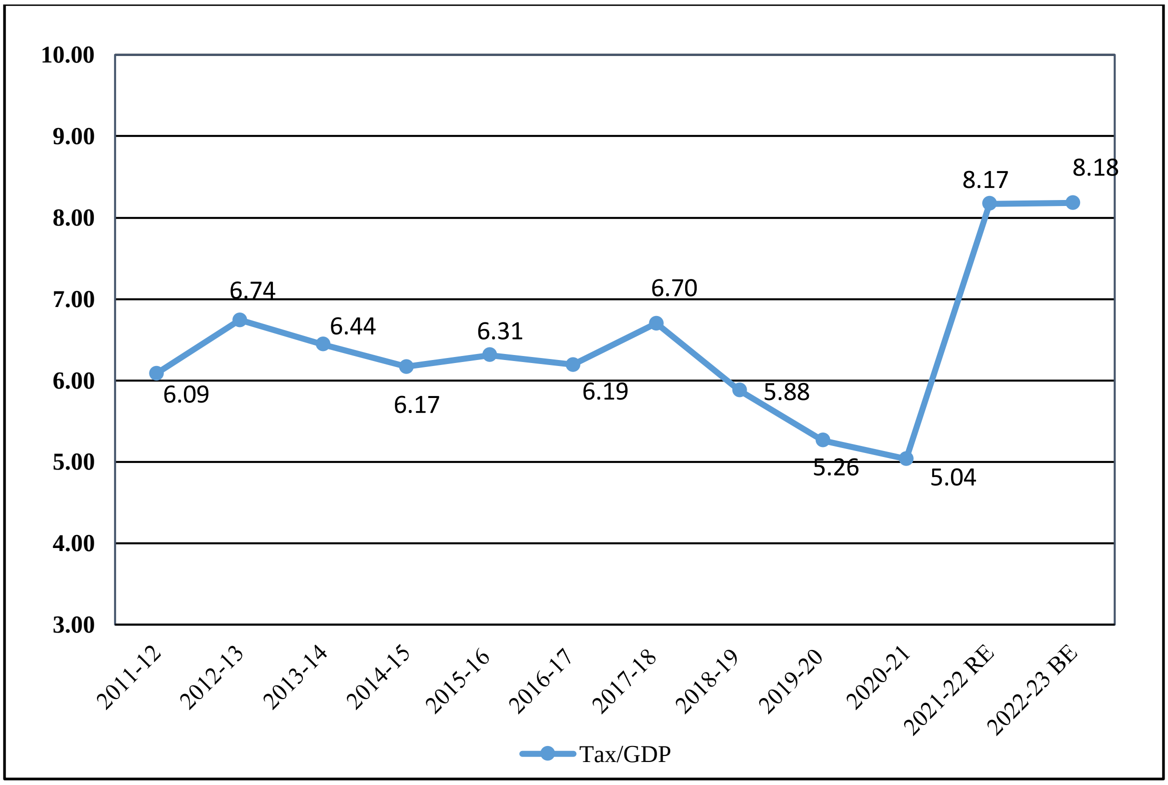

तालिका-2 बजट : आधारभूत विवरण

(करोड़ रुपए में)

मद	2020-21 (पूर्व-वास्तविक)	2021-22 (बजट अनुमान)	2021-22 (संशोधित अनुमान)	2022-23 (बजट अनुमान)
राजस्व प्राप्तियां (i+ii+iii+iv+v)	**52495**	**97141**	**84923**	**102322**
i. स्वयं का कर राजस्व	8877	16276	15480	16666
ii. कर-भिन्न राजस्व	4076	8209	7942	8648
iii. केंद्र से प्राप्त संसाधन	39542	62656	61501	68206
iv. अतिरिक्त संसाधन जुटाना (ARM) / CRISP	-	10000	-	5802
v. संपत्ति मुद्रीकरण	-	-	-	3000
कुल राजस्व व्यय	**52634**	**68804**	**67237**	**71615**
ब्याज का भुगतान	*6372*	*6891*	*6790*	*7692*
सीएसएस (CSS)	1740	3389	3375	3319
कुल पूंजी प्राप्तियां	**14923**	**11480**	**17522**	**10628**
i. उधार	9650	9214	16276	9158
ii. भविष्य निधि की अन्य देयताएं (निवल)	1144	1433	180	412
iii. विविध, ऋण भिन्न सृजन	4127	828	1061	1053
iv. ऋण और अग्रिम की वसूली	2	5	5	5
कुल पूंजी व्यय	**14784**	**39817**	**35208**	**41335**
i. पूंजी व्यय	10490	24481	22512	22904
जिसमें से अदायगियां	*4252*	*4226*	*4226*	*3521*
ii. सीएसएस (CSS)	4294	15336	12696	18431
कुल व्यय	**67418**	**108621**	**102445**	**112950**
i. राजस्व व्यय	52634	68804	67237	71615
ii. पूंजी व्यय	10490	24481	22512	22904
iii. CSS पूंजी व्यय	4294	15336	12696	18431
कुल प्राप्तियां	**67418**	**108621**	**102445**	**112950**
i. राजस्व प्राप्तियां	52495	97141	84923	102322
ii. पूंजी प्राप्तियां *	14923	11480	17522	10628
राजस्व अधिशेष	**-139**	**28337**	**17686**	**30707**
गैर वित्त पोषित/अपेक्षित अतिरिक्त संसाधन	**0**	**0**	**0**	**0**
कुल व्यय	**10794**	**10647**	**16456**	**9570**

रू 23200 करोड का अग्रिम संसाधन (वेज ऐंड मिनज़) और रू 14150 करोड का ओवरड्राफ्ट, संशोधित अनुमान 2021-22 की पूंजी प्राप्ति और व्यय में शामिल नहीं हैं। रू 29200 करोड का अग्रिम संसाधन (वेज ऐंड मिनज़) बजट अनुमान 2022-23 की पूंजी प्राप्ति और व्यय में शामिल नहीं हैं।

तालिका- 3: राजस्व प्राप्तियां

(करोड़ रुपए में)

मद	2020-21 (पूर्व-वास्तविक)	2021-22 (बजट अनुमान)	2021-22 (संशोधित अनुमान)	2022-23 (बजट अनुमान)
राजस्व प्राप्तियां (I+II)	**52495**	**97141**	**84923**	**102322**
I. केंद्र से कुल अनुदान	**39542**	**62656**	**61501**	**68206**
i. केंद्र से प्राप्त संसाधन	39542	62656	61501	68206
II. अपने स्वयं के संसाधन (1+2+3)	**12953**	**34485**	**23422**	**34116**
1. स्वयं के कर राजस्व	**8877**	**16276**	**15480**	**16666**
a. जीएसटी (GST)	4839	10462	10462	10600
b.बिक्री कर	1496	1650	1800	1800
c. उत्पाद शुल्क एवं पथ कर	1348	1978	1505	1905
d. अन्य	1194	2186	1713	2361
2. जिसमें से कर भिन्न राजस्व	**4076**	**8209**	**7942**	**8648**
ब्याज प्राप्तियां	*18*	*2*	*0*	*2*
विद्युत प्राप्तियां	*2350*	*5500*	*5000*	*5000*
3. अतिरिक्त संसाधन जुटाना (ए आर एम)	-	**10000**	-	**5802**
4. संपत्ति मुद्रीकरण	-	-	-	**3000**

तालिका 4: राजस्व प्राप्तियां और व्यय : संरचना

(करोड़ रुपए)

	मद	2020-21 (पूर्व-वास्तविक)	2021-22 (बजट अनुमान)	2021-22 (संशोधित अनुमान)	2022-23 (बजट अनुमान)
A.	**राजस्व व्यय**	**52634**	**68804**	**67237**	**71615**
	i. ब्याज	6372	7692	7095	7427
	ii. बिजली खरीद*	-	5500	4000	5000
	iii. रखरखाव/मरम्मत/सामग्री और आपूर्तियां	661	1043	1004	861
	iv. सहायता अनुदान (GIA)	6427	4120	3922	4287
	iv. सीएसएस (CSS)	1740	3389	3375	3319
B.	**प्राथमिक राजस्व व्यय**	**46262**	**61112**	**60142**	**64188**
	i. वेतन	23852	30131	30155	32495
	ii. पेंशन	9078	8589	9821	9780
	iii. अन्य	4504	8340	7865	8446

* 2020-21 में बिजली की खरीद, बिजली निगमों को प्रदान की जाने वाली सहायता अनुदान का हिस्सा थी।

तालिका 5: पूंजी प्राप्तियां

(करोड़ रुपए)

मद	2020-21 (पूर्व-वास्तविक)	2021-22 (बजट अनुमान)	2021-22 (संशोधित अनुमान)	2022-23 (बजट अनुमान)
पूंजीगत प्राप्तियां	**14923**	**11480**	**17522**	**10628**
1. परक्राम्य ऋण	322	1600	1138	1505
2. बाजार उधार	9328	7614	15138	7653
4. विविध, ऋण भिन्न राशि जुटाना	4127	828	1061	1053
5. ऋणों और अग्रिमों की वसूली	2	5	5	5
6. भविष्य निधि (निवल)	1144	1433	180	412

विविध भिन्न -ऋण जुटाना में 2020-21 के लिए ऋण के रूप में नहीं माने जाने वाले मुआवजे के बदले में बैक टू बैक ऋण के रूप में 2100 करोड़ रुपये शामिल हैं

तालिका 6: पूंजी व्यय

(करोड़ रुपए में)

मद	2020-21 (पूर्व-वास्तविक)	2021-22 (बजट अनुमान)	2021-22 संशोधित अनुमान	2022-23 बजट अनुमान
पूंजीगत व्यय	**14784**	**39817**	**35208**	**41335**
i. UT/जिला/पीएमडीपी (तामिर) कपैक्स	5676	18033	15858	17761
ii. ऋण और अग्रिम	62	109	115	109
iii. ऋण की अदायगी	4252	4226	4226	3521
iv. इक्विटी और निवेश	500	800	1000	200
v. सीएसएस	4294	15336	12696	18431
vi. ULB/PRI*	-	1313	1313	1313
घाटा/पूंजीगत लेखेमय अधिशेष	**139**	**-28337**	**-17686**	**-30707**

भाग (i) के अंतर्गत व्यय में वर्ष 2020-21 के लिए यूएलबी/पीआरआई अनुदान शामिल है।

पूंजी प्राप्तियां बनाम पूंजी व्यय

ग्राफ: 5 (करोड़ रुपए में)

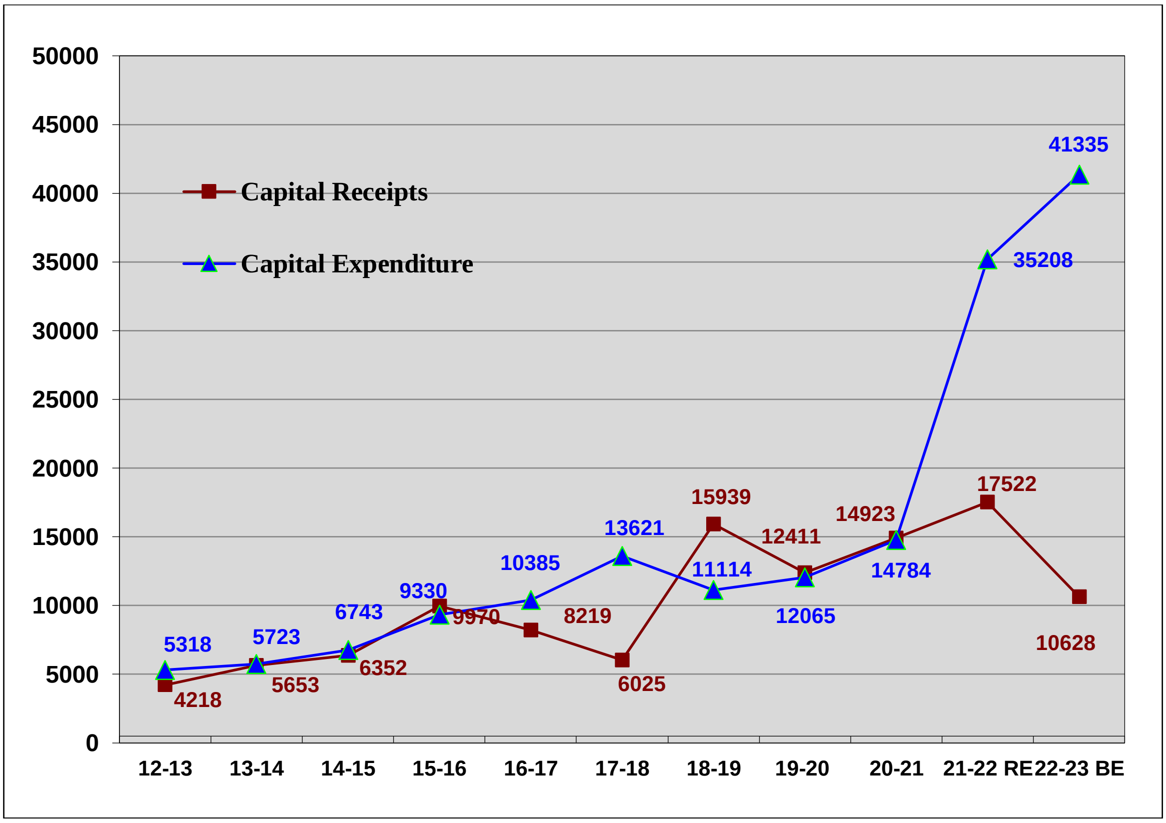

कैपेक्स (CAPEX) के प्रतियूनिट पर राजस्व व्यय

ग्राफ: 6

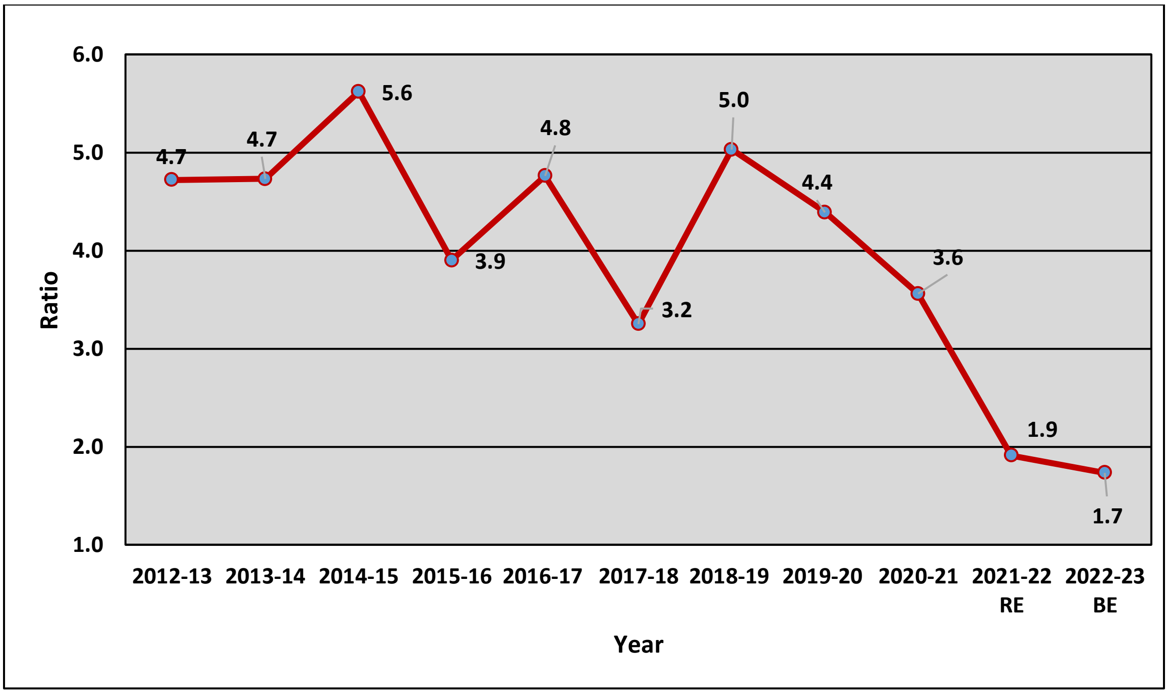

पूंजी व्यय के लिए उपलब्ध राजस्व अधिशेष

ग्राफ: 7 (करोड़ रूपए में)

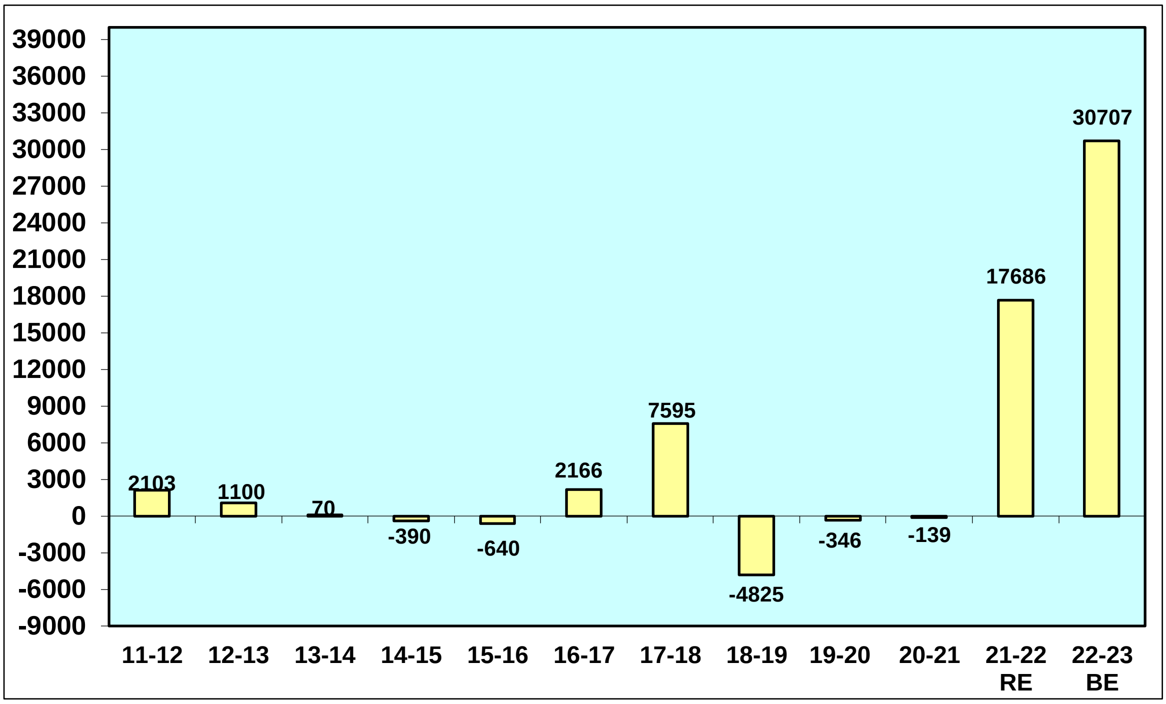

अपने स्वयं के राजस्व में वृद्धि
(कर+कर-भिन्न)

ग्राफ: 8 (करोड़ रुपए में)

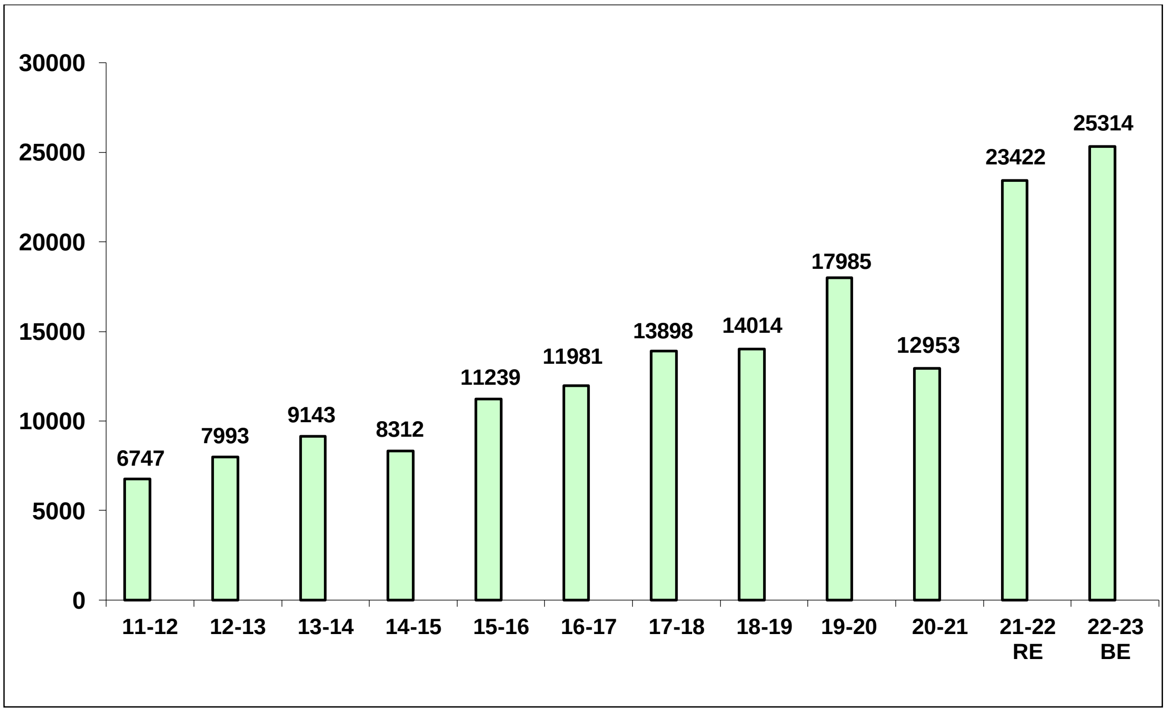

तालिका 7: केंद्र से सांवधिक प्रवाह
(2021-2022 और 2022-2023)

(करोड़ रुपए में)

		2021-22 (बजट अनुमान)	2021-22 (संशोधित अनुमान)	2022-23 (बजट अनुमान)
(A)	**अनुदानों की हकदारी**	**33689**	**37622**	**38456**
	i. गृह मंत्रालय अनुदान के तहत केंद्रीय सहायता	29165	33154	35302*
	ii. डीआरएफ (DRF)	279	279	279
	iii. एसआरई (SRE)	2500	2500	2500
	iv. अन्य केंद्रीय योजनाएं	432	376	375
	v. ULB/PRI अनुदान जिनमें से	1313	1313	0
	क. PRI	1000	1000	0
	ख. ULB	313	313	0
(B)	**अन्य अनुदान**	**28967**	**23879**	**29750**
	i. प्रधानमंत्री विकास कार्यक्रम (PMDP)	10242	7808	8000
	ii. सीएसएस (CSS)	18725	16071	21750
	कुल (ए+बी)	**62656**	**61501**	**68206**

* यूएलबी/पीआरआई अनुदान यूटी को केंद्रीय सहायता का हिस्सा हैं, जो भाग (i) में दिखाया गया है, जो बीई 2022-23 में एमएचए अनुदान के तहत कुल 35302 करोड़ रुपये है।

निवेश की दर

ग्राफ: 9 **जीडीपी के प्रतिशत के रूप में केपैक्स (CAPEX)**

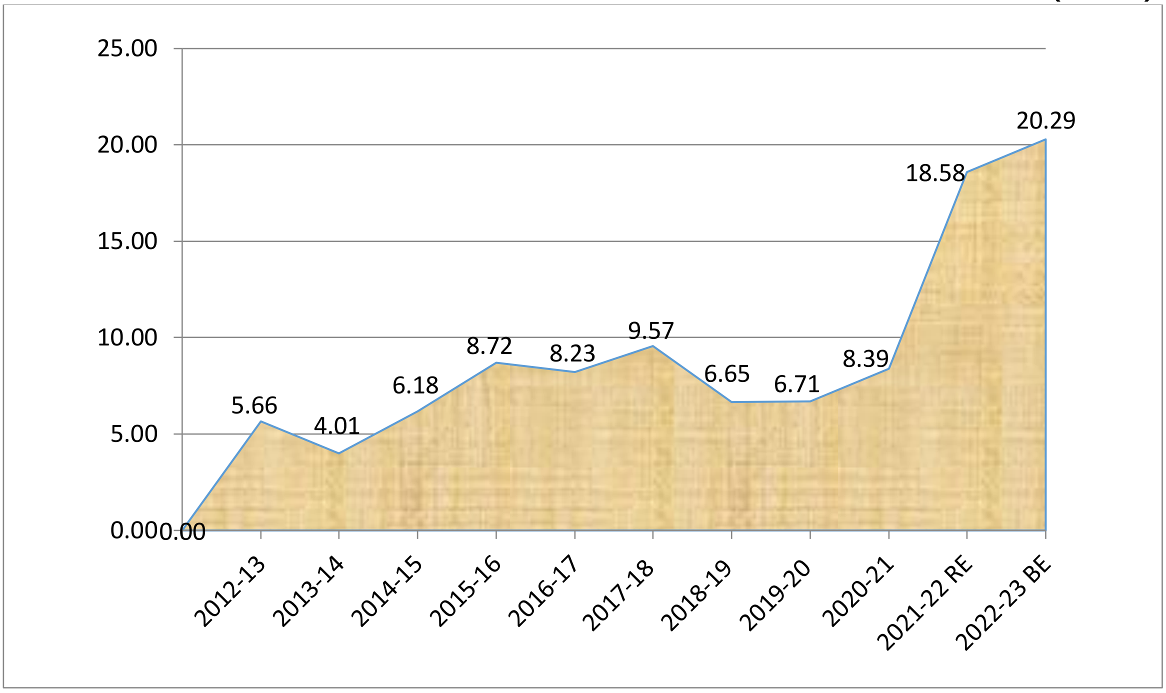

राजकोषीय घाटे का उपयोग

ग्राफ: 10 **राजकोषीय घाटे के प्रतिशत के रूप में केपैक्स (CAPEX)**

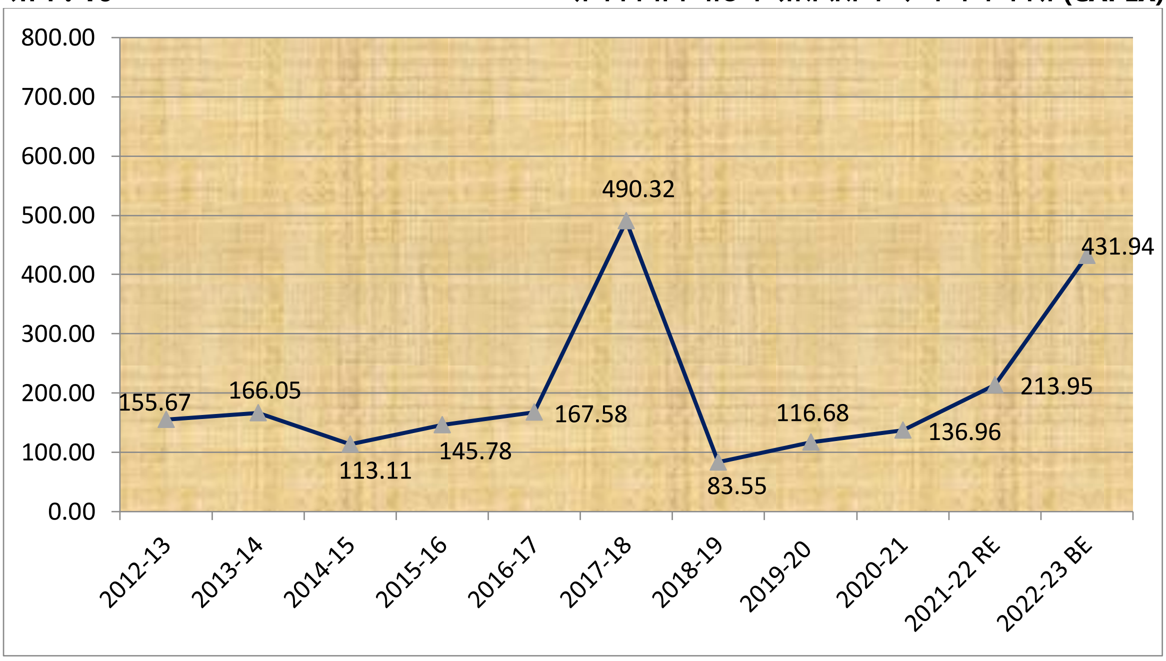

व्यय की प्रवृत्ति

ग्राफ: 11 (करोड़ रुपए में)

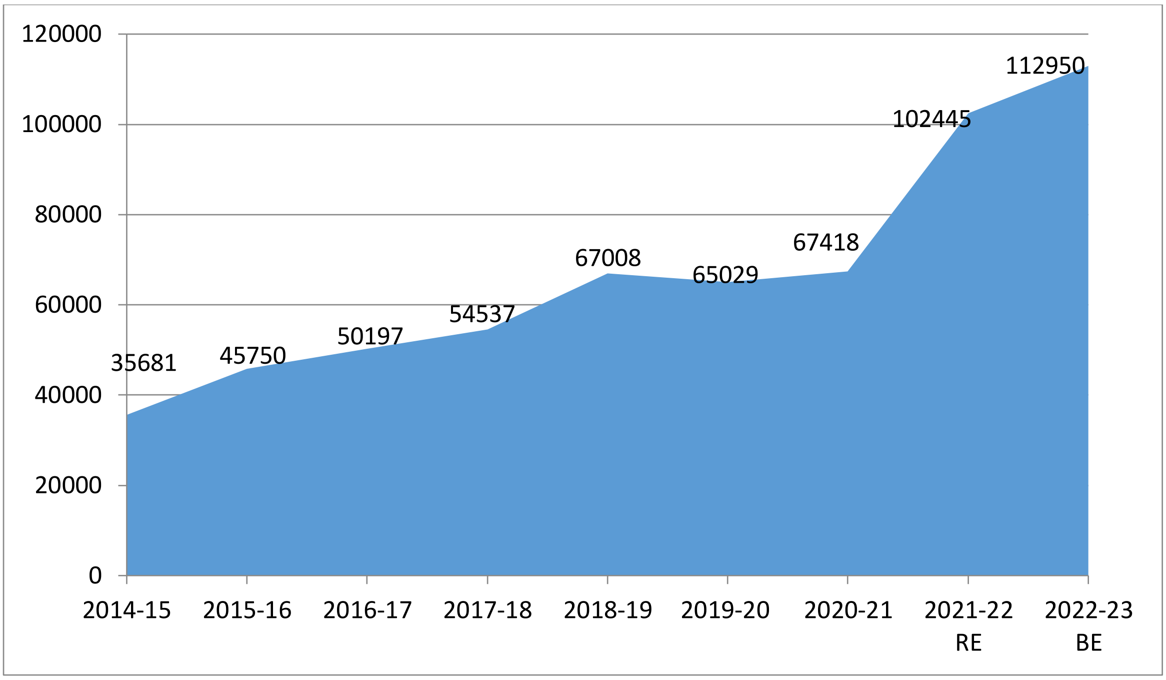

कर राजस्व : प्रवृत्तियां

ग्राफ : 12 (करोड़ रुपए में)

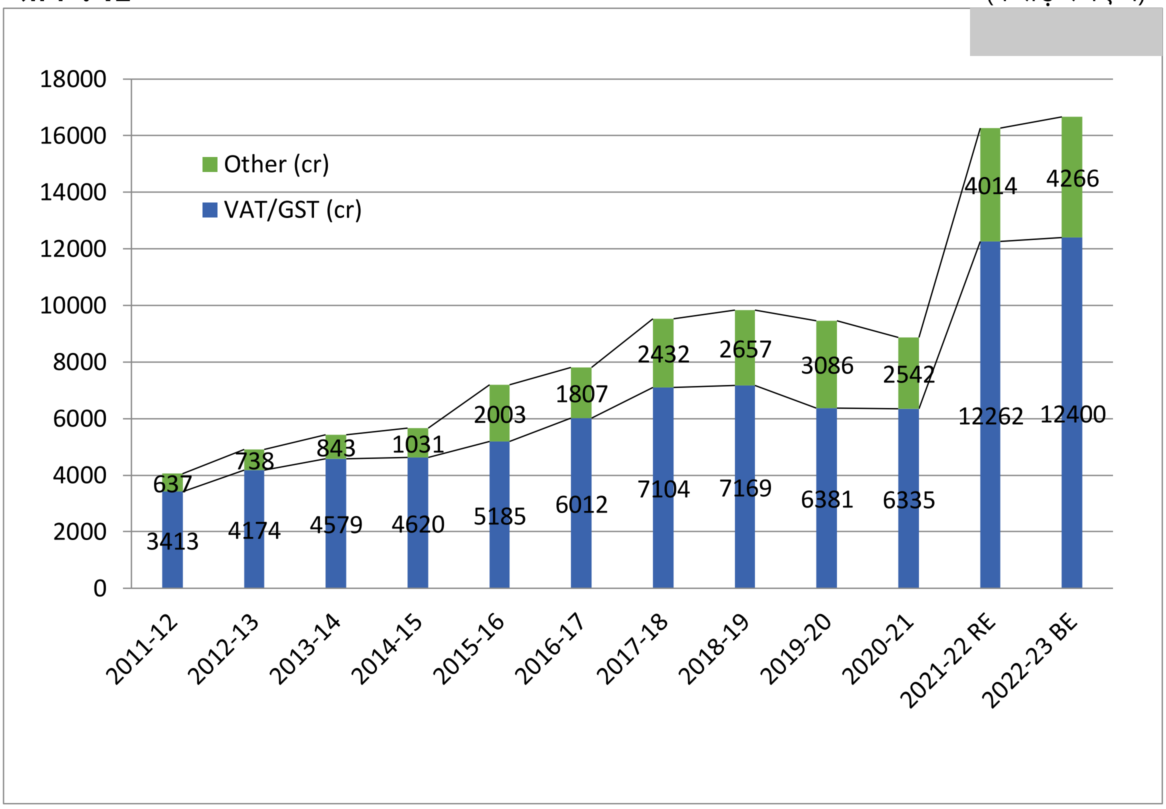

पूंजी व्यय का वित्तपोषण

ग्राफ: 13 (करोड़ रुपए में)

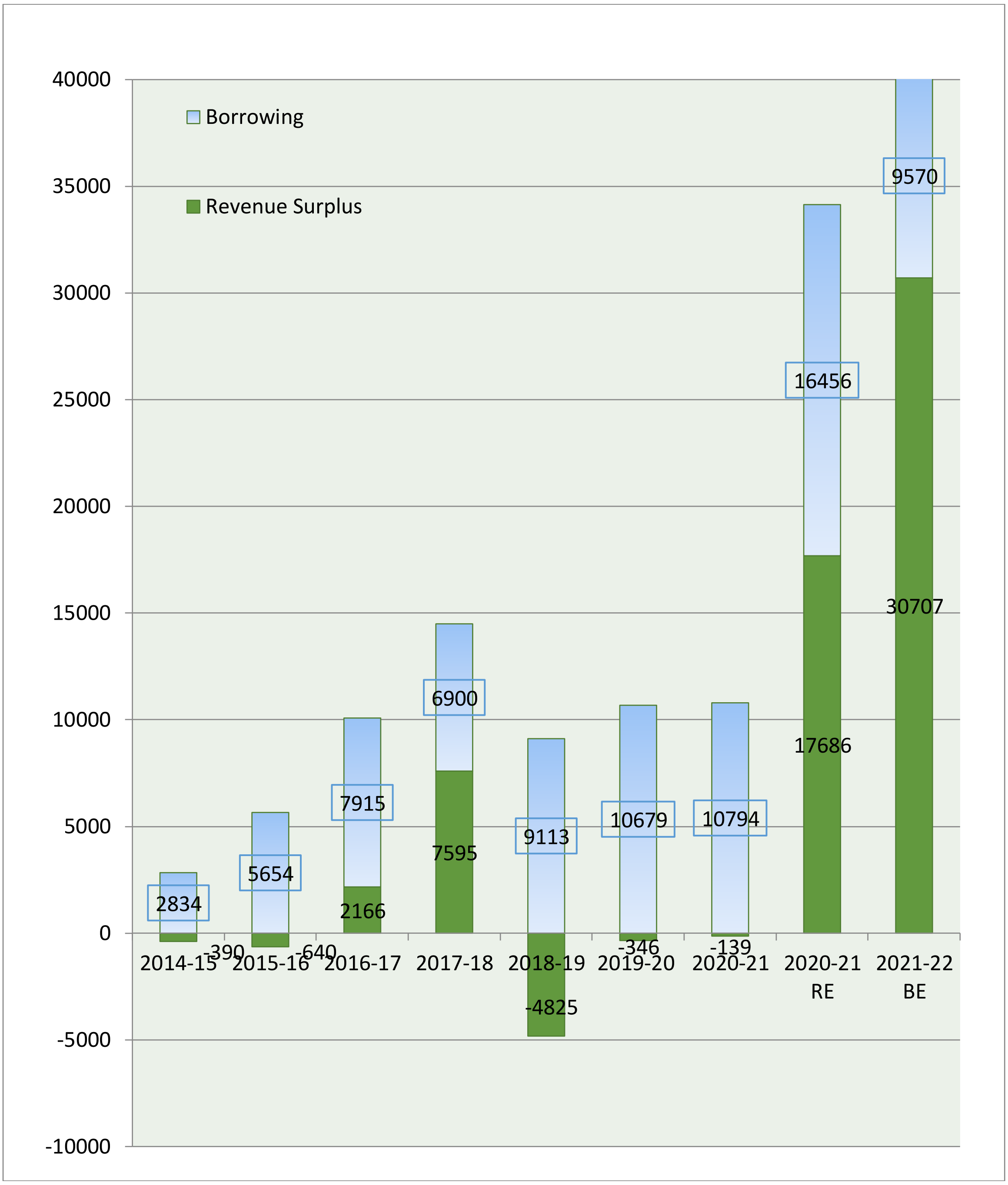

तालिका 8: सेक्टर-वार राजस्व व्यय

(करोड़ रुपए में)

मांग सं.	विभाग	बजट अनुमान (2021-22)	संशोधित अनुमान (2021-22)	बजट अनुमान (2022-23)	% बढ़ोतरी (2021-22) RE से (2022-23) BE तक
01	**प्रशासनिक सेक्टर**				
01	सामान्य प्रशासन	576.49	557.01	590.76	6.06
02	गृह	8865.06	9228.32	9588.37	3.90
04	सूचना	134.36	125.97	131.95	4.75
09	संसदीय कार्य	51.09	34.04	58.69	72.41
10	विधि	767.95	649.36	718.50	10.65
14	राजस्व	787.92	785.20	906.72	15.48
24	आतिथ्य एवं प्रोटोकॉल	291.03	237.78	226.55	-4.72
33	आपदा प्रबंधन, राहत और पुनर्वास	986.15	972.95	994.11	2.17
	कुल प्रशासनिक सेक्टर	**12460.05**	**12590.63**	**13215.65**	**4.96**
02	**सामाजिक सेक्टर**				
07	शिक्षा	11016.32	10206.03	10888.37	6.69
15	खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोगता मामले	278.02	279.46	318.26	13.88
17	स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा	5605.58	5907.72	6388.63	8.14
18	सामाजिक कल्याण	2506.02	2967.79	3004.64	1.24
25	लेखन सामग्री एवं प्रिंटिंग/ श्रम एवं रोजगार	97.82	95.57	108.50	13.53
27	उच्चतर शिक्षा	1365.24	1398.51	1482.66	6.02
30	जनजातीय कार्य	104.72	129.64	135.10	4.21
31	संस्कृति	64.42	59.52	67.35	13.16
34	यूवा सेवाएं एवं तकनीकी शिक्षा	652.97	609.91	666.87	9.34
	कुल सामाजिक सेक्टर	**21691.11**	**21654.15**	**23060.38**	**6.49**
03	**अवसंरचना सेक्टर**				
06	विद्युत विकास	6694.66	5216.69	6310.51	20.97
16	लोकनिर्माण कार्य	1266.06	1182.25	1078.70	-8.76
19	आवास एवं शहरी विकास	896.73	916.46	1137.00	24.06
22	सिंचाई एवं बाढ़ नियंत्रण	786.7	696.16	810.29	16.39
23	जन स्वास्थ्य इंजीनियरिंग	1837.53	1831.63	1805.63	-1.42
35	विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी	19.01	15.85	21.03	32.68
	कुल अवसंरचना सेक्टर	**11500.69**	**9859.04**	**11163.16**	**13.23**

04	**आर्थिक सेक्टर**				
11	उद्योग एवं वाणिज्य	443.36	377.96	447.18	18.31
12	कृषि उत्पादन	1342.66	1240.42	1339.36	7.98
13	पशु/भेड़पालन	675.79	614.30	722.21	17.57
20	पर्यटन	252.78	216.50	228.85	5.70
21	वन	1534	1535.99	1688.43	9.92
26	मत्स्य पालन	113.75	110.67	119.04	7.56
28	ग्रामीण विकास	714.61	686.01	815.32	18.85
29	परिवहन	132.68	110.25	117.32	6.41
32	बागवानी	188.79	162.84	192.93	18.48
36	सहकारिता	65.17	74.53	85.08	14.16
	कुल आर्थिक सेक्टर	**5463.59**	**5129.47**	**5755.72**	**12.21**
05	**वित्तीय सेक्टर**				
03	योजना, विकास एवं मॉनीटरिंग	130.54	138.74	154.67	11.48
08	वित्त	17557.82	17864.87	18265.38	2.24
	कुल वित्तीय सेक्टर	**17688.36**	**18003.61**	**18420.05**	2.31
	कुल मिलाकर	**68803.80**	**67236.90**	**71614.96**	**6.51**

'-' चिह्न कमी को दर्शाता है।

सेक्टर-वार राजस्व व्यय

ग्राफ: 14

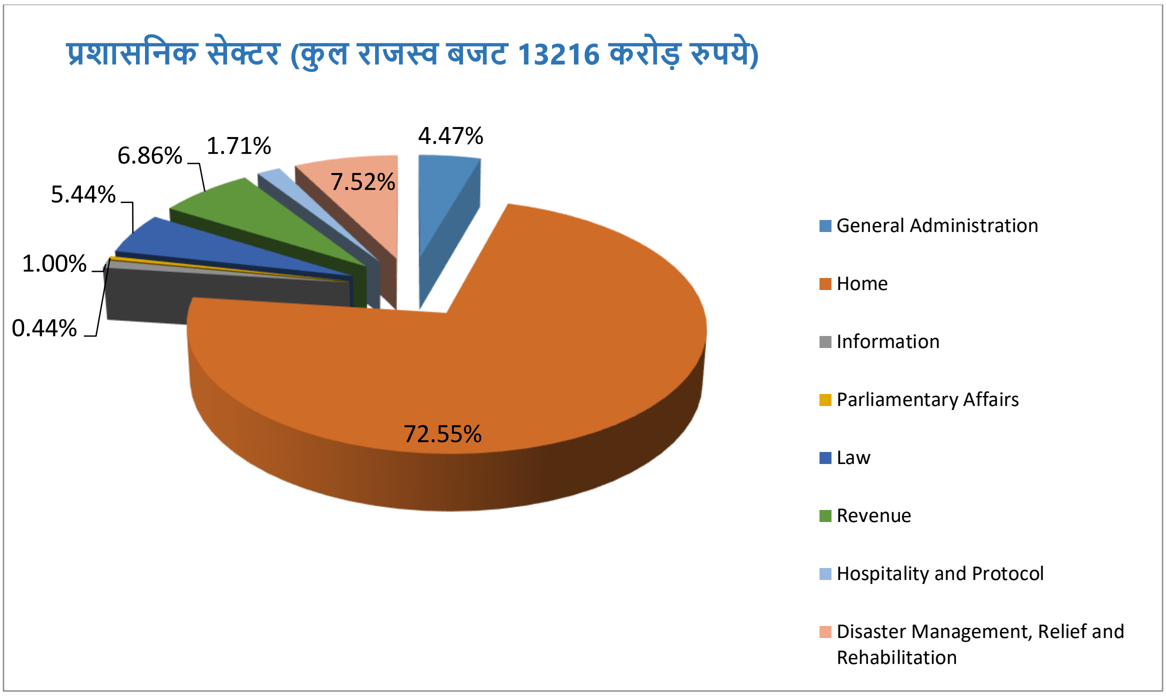

ग्राफ : 15

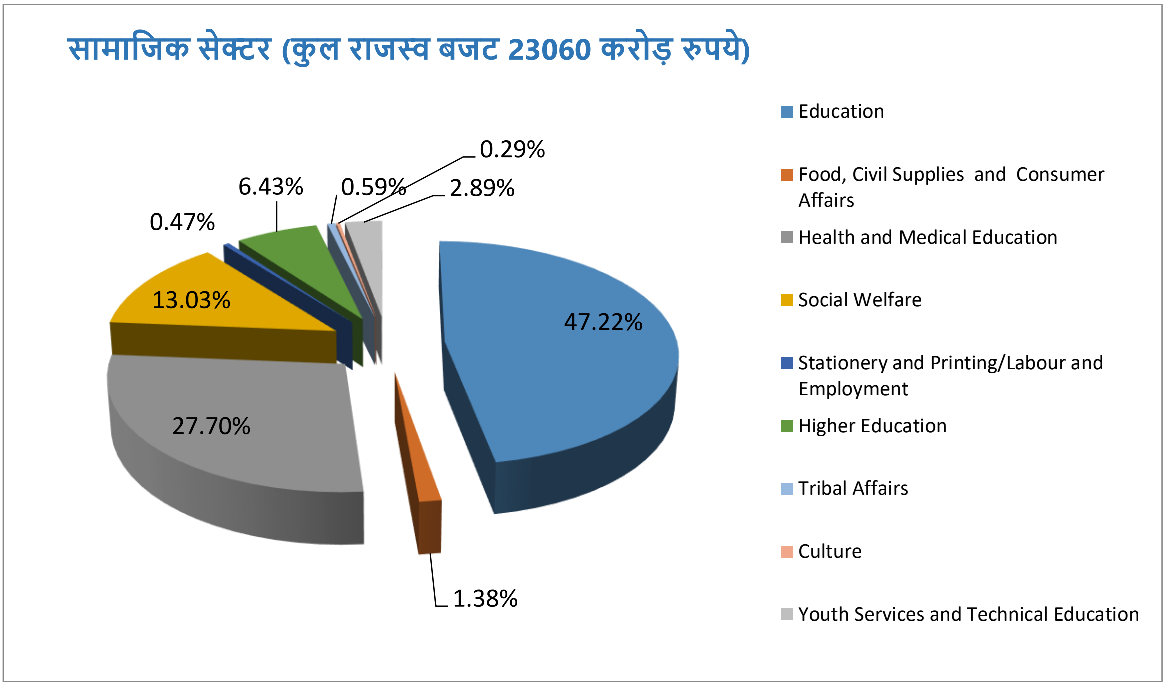

ग्राफ: 16

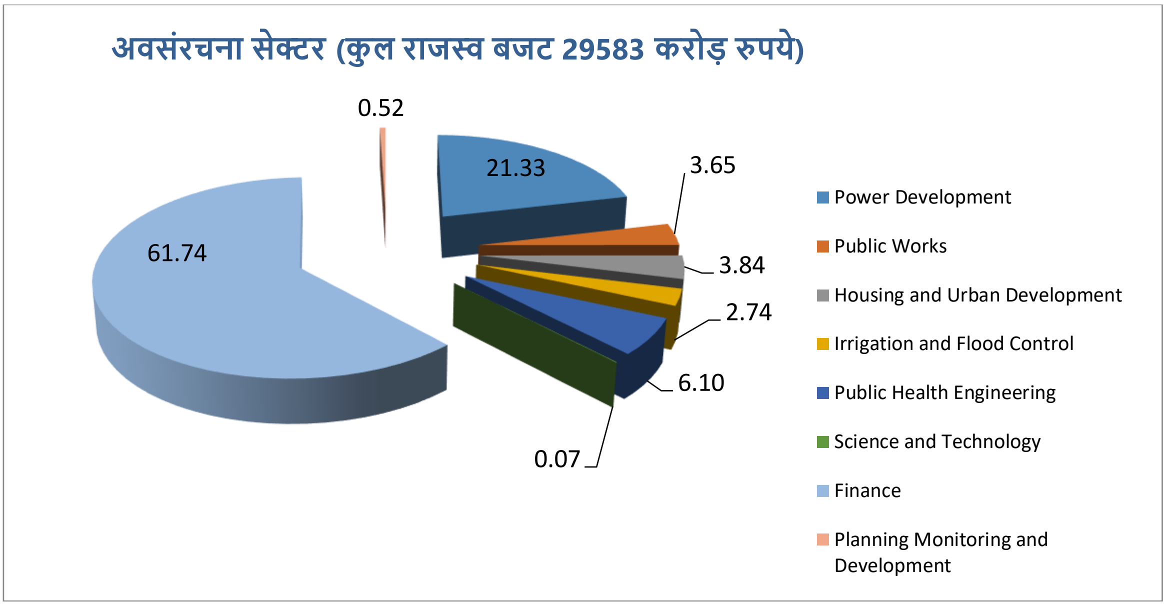
अवसंरचना सेक्टर (कुल राजस्व बजट 29583 करोड़ रुपये)
0.52
21.33
3.65
3.84
2.74
6.10
0.07
61.74
Power Development
Public Works
Housing and Urban Development
Irrigation and Flood Control
Public Health Engineering
Science and Technology
Finance
Planning Monitoring and Development

ग्राफ: 17

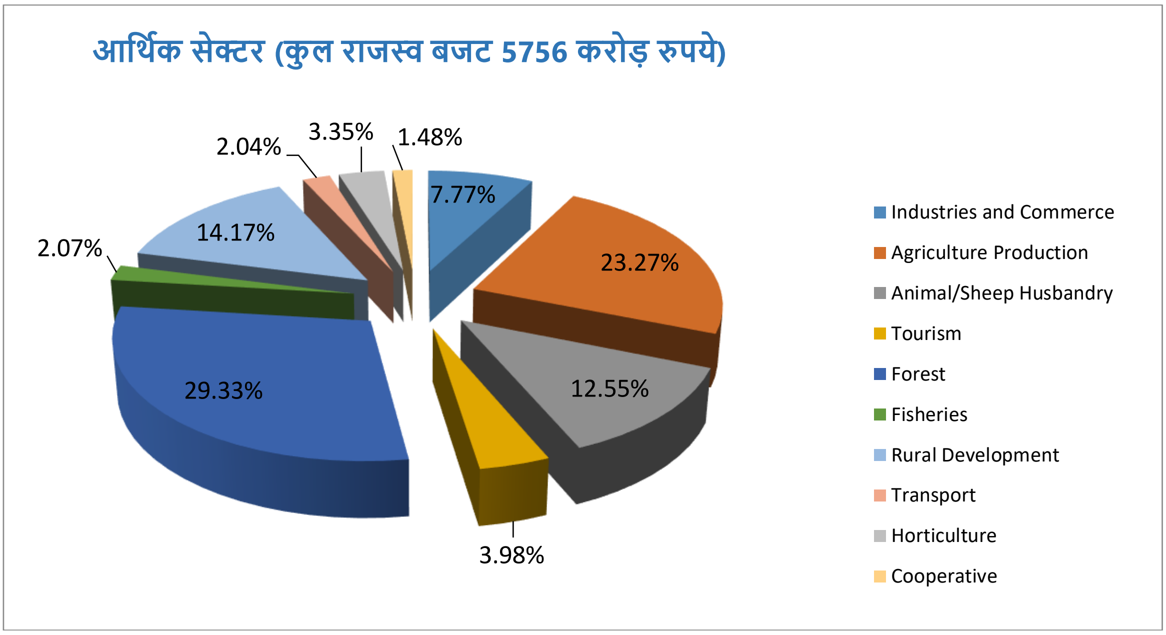
आर्थिक सेक्टर (कुल राजस्व बजट 5756 करोड़ रुपये)
2.04%
3.35%
1.48%
7.77%
2.07%
14.17%
23.27%
29.33%
12.55%
3.98%
Industries and Commerce
Agriculture Production
Animal/Sheep Husbandry
Tourism
Forest
Fisheries
Rural Development
Transport
Horticulture
Cooperative

तालिका 9: सेक्टर-वार पूंजी व्यय

(करोड़ रुपए में)

मांग सं.	विभाग	बजट अनुमान (2021-22)	संशोधित अनुमान (2021-22)	बजट अनुमान (2022-23)	% बढ़ोतरी (2021-22) RE से (2022-23) BE तक
01	**प्रशासनिक सेक्टर**				
01	सामान्य प्रशासन	222.47	189.35	206.59	9.10
02	गृह	1383.7	971.28	1242.82	27.96
04	सूचना	1.15	0.92	100.48	-
09	संसदीय कार्य	4.00	0.00	4.00	-
10	विधि	116	116.00	122.00	5.17
14	राजस्व	114.7	37.45	93.50	149.67
24	आतिथ्य एवं प्रोटोकॉल	46.22	45.98	51.00	10.92
33	आपदा प्रबंधन, राहत और पुनर्वास	179.49	115.43	566.62	390.88
	कुल प्रशासनिक सेक्टर	2067.73	1476.41	2387.01	61.68
02	**सामाजिक सेक्टर**				
07	शिक्षा	830.94	795.24	944.41	18.76
15	खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोगता मामले	304.97	303.66	306.26	0.86
17	स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा	1455.83	1570.67	1484.72	-5.47
18	सामाजिक कल्याण	173.77	193.14	198.07	2.55
25	स्वच्छता एवं प्रिटिंग/ श्रम एवं रोजगार	67.08	56.08	67.58	20.51
27	उच्चतर शिक्षा	1042.25	762.25	862.25	13.12
30	जनजातिया कार्य	273.43	282.23	282.23	0.00
31	संस्कृति	525.82	274.32	325.82	18.77
34	यूवा सेवाएं एवं तकनीकी शिक्षा	245.77	236.77	244.99	3.47
	कुल सामाजिक सेक्टर	**4919.86**	**4474.36**	**4716.33**	**5.41**
03	**अवसंरचना सेक्टर**				
06	विद्युत विकास	2727.76	2708.12	2457.58	-9.25
16	लोकनिर्माण कार्य	4088.87	5604.59	5217.87	-6.90
19	आवास एवं शहरी विकास	2709.99	2881.94	3112.88	8.01
22	सिंचाई एवं बाढ़ नियंत्रण	1410.84	769.19	1237.69	60.91
23	जन स्वास्थ्य इंजीनियरिंग	6346.46	2107.25	8051.46	282.08
35	विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी	105.91	105.91	127.91	20.77
	कुल अवसंरचना सेक्टर	**17389.83**	**14177.00**	**20205.39**	**42.52**

04	**आर्थिक सेक्टर**				
11	उद्योग एवं वाणिज्य	648.36	415.96	555.8	33.62
12	कृषि उत्पादन	1607.86	1182.54	1496.04	26.51
13	पशु/भेड़पालन	235.92	244.74	266.1	8.73
20	पर्यटन	260.05	251.84	278.95	10.76
21	वन	218.24	191.75	200.76	4.70
26	मत्स्य पालन	102.11	108.3	125.8	16.16
28	ग्रामीण विकास	4816.7	4300.45	4627.85	7.61
29	परिवहन	163.00	138.5	65.50	-52.71
32	बागवानी	400.09	457.42	454	-0.75
36	सहकारिता	15.00	15.00	15.00	0.00
	कुल आर्थिक सेक्टर	**8467.33**	**7306.5**	**8085.8**	10.67
05	**वित्तीय सेक्टर**				
03	योजना, विकास एवं मॉनीटरिंग	1017.00	1672.46	974.92	-41.71
08	वित्त	5955.70	6101.56	4965.67	-18.62
	कुल वित्तीय सेक्टर	**6972.70**	**7774.02**	**5940.59**	-23.58
	कुल मिलाकर	**39817.45**	**35208.29**	**41335.12**	**17.40**

सेक्टर-वार पूंजी व्यय

ग्राफ: 18

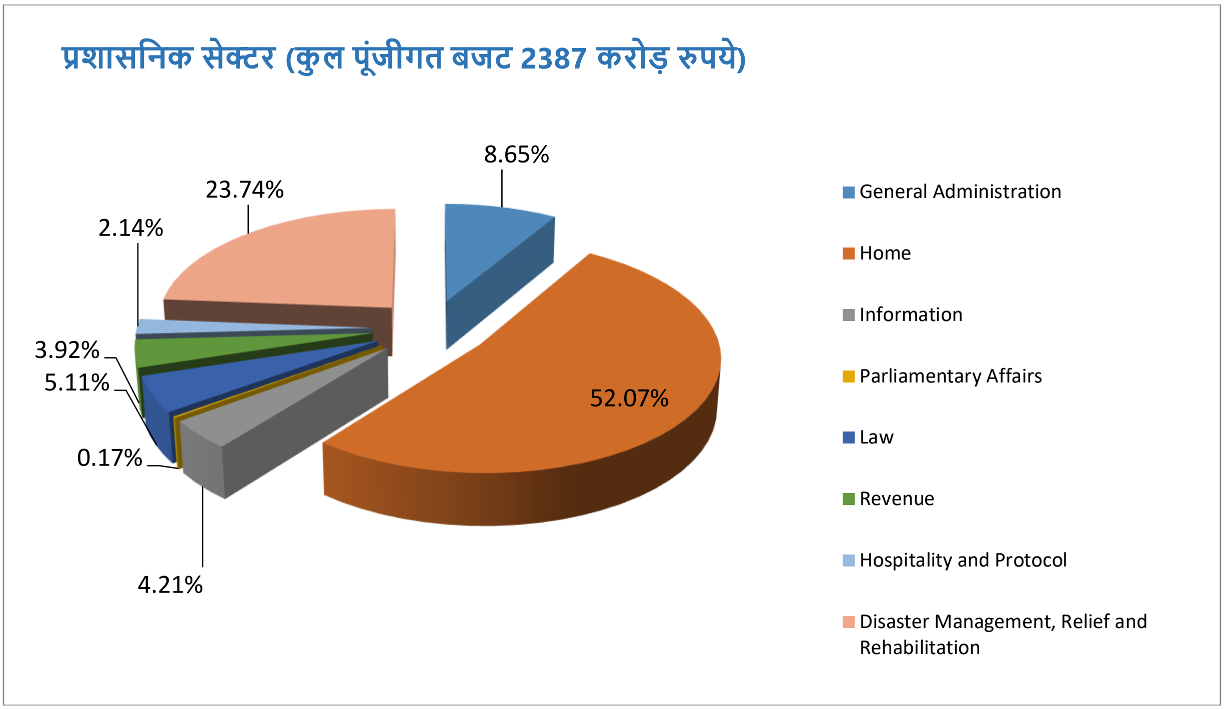

ग्राफ: 19

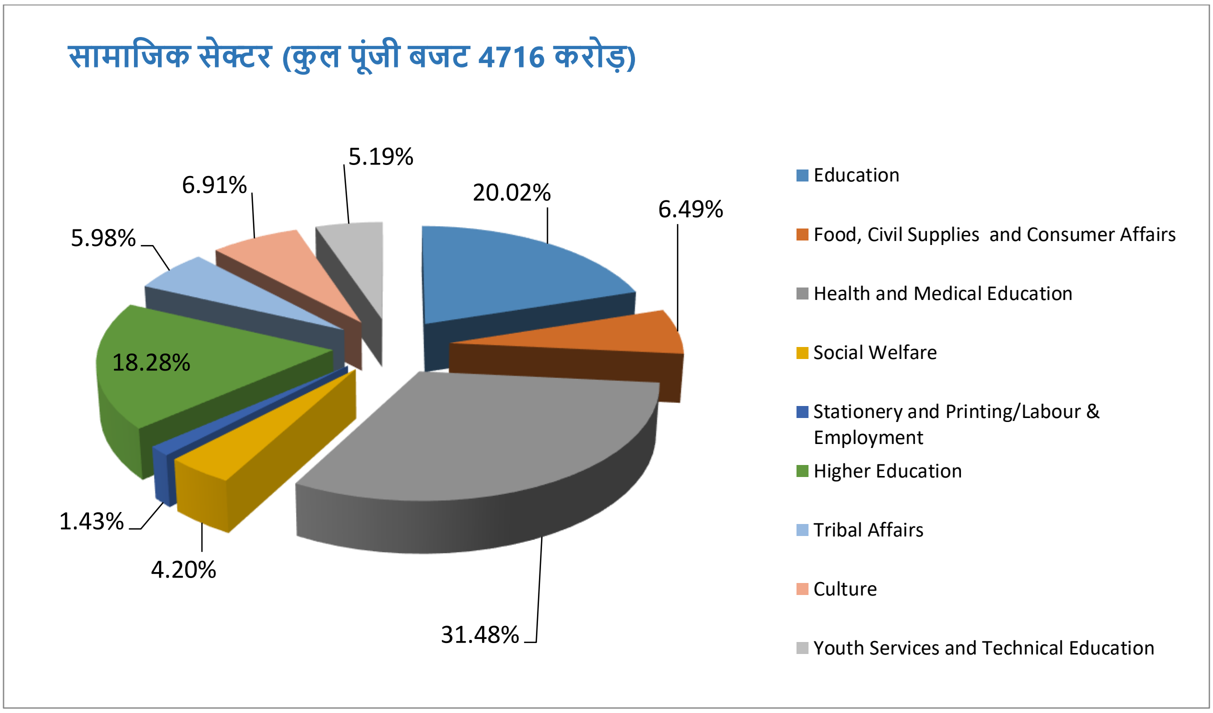

ग्राफ: 20

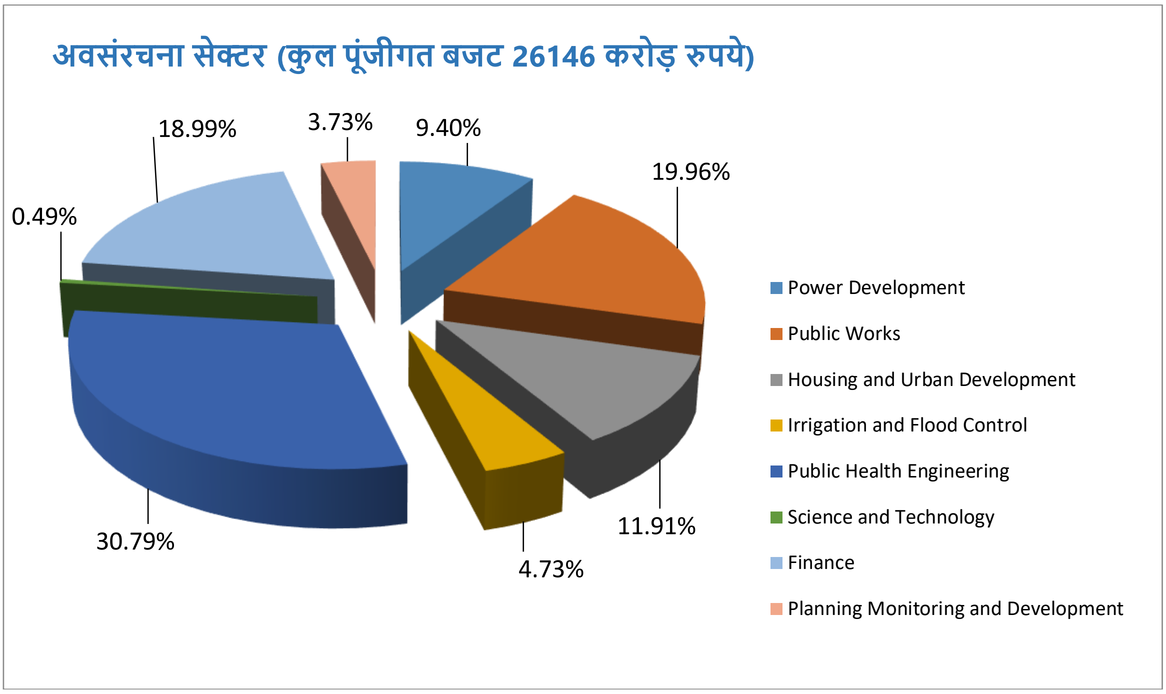
अवसंरचना सेक्टर (कुल पूंजीगत बजट 26146 करोड़ रुपये)
18.99%
3.73%
9.40%
19.96%
0.49%
30.79%
4.73%
11.91%
Power Development
Public Works
Housing and Urban Development
Irrigation and Flood Control
Public Health Engineering
Science and Technology
Finance
Planning Monitoring and Development

ग्राफ: 21

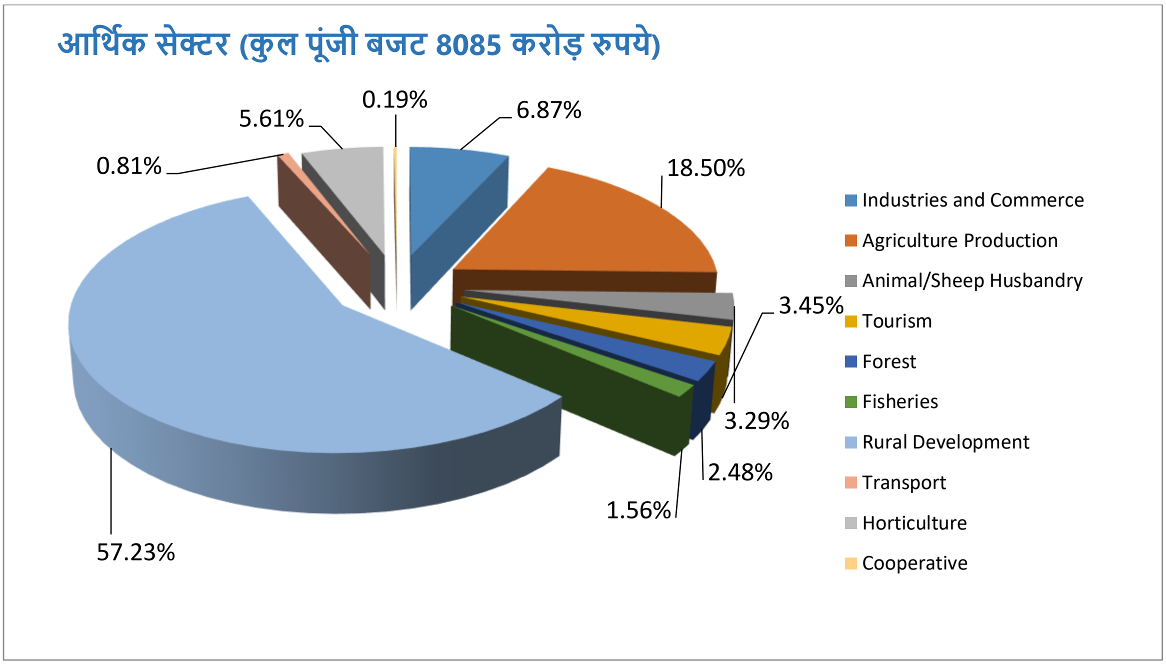
आर्थिक सेक्टर (कुल पूंजी बजट 8085 करोड़ रुपये)
0.19%
5.61%
6.87%
0.81%
18.50%
3.45%
3.29%
2.48%
1.56%
57.23%
Industries and Commerce
Agriculture Production
Animal/Sheep Husbandry
Tourism
Forest
Fisheries
Rural Development
Transport
Horticulture
Cooperative

विभाग-वार समग्र पूंजी व्यय (%)
प्रशासनिक और सामाजिक सेक्टर:

ग्राफ: 22

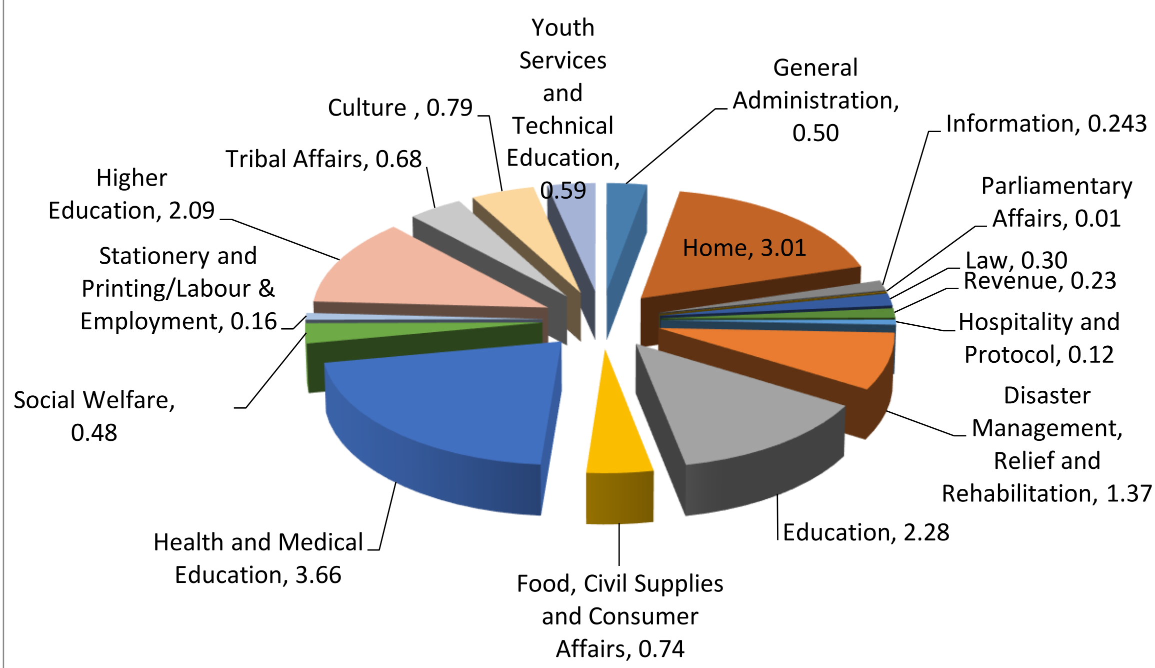

विभाग-वार समग्र राजस्व व्यय (%)
प्रशासनिक और सामाजिक सेक्टर:

ग्राफ: 23

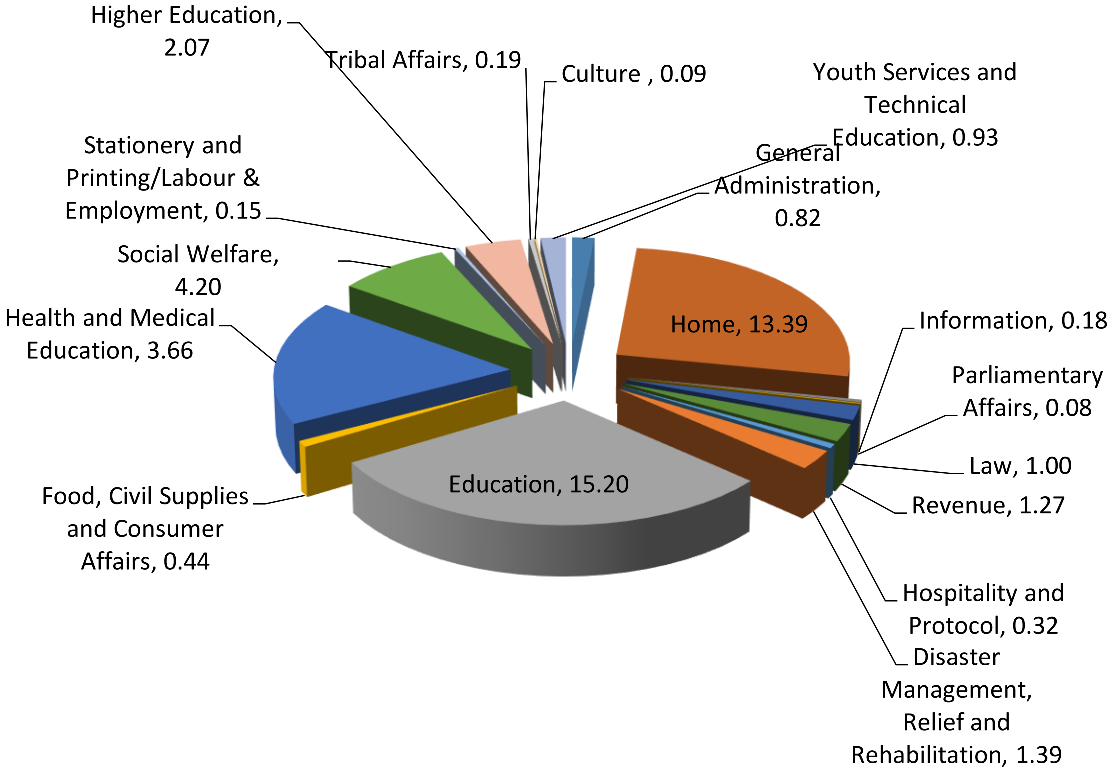

विभाग-वार समग्र पूंजी व्यय (%)
अवसंरचना और आर्थिक/वित्तीय सेक्टर:

ग्राफ: 24

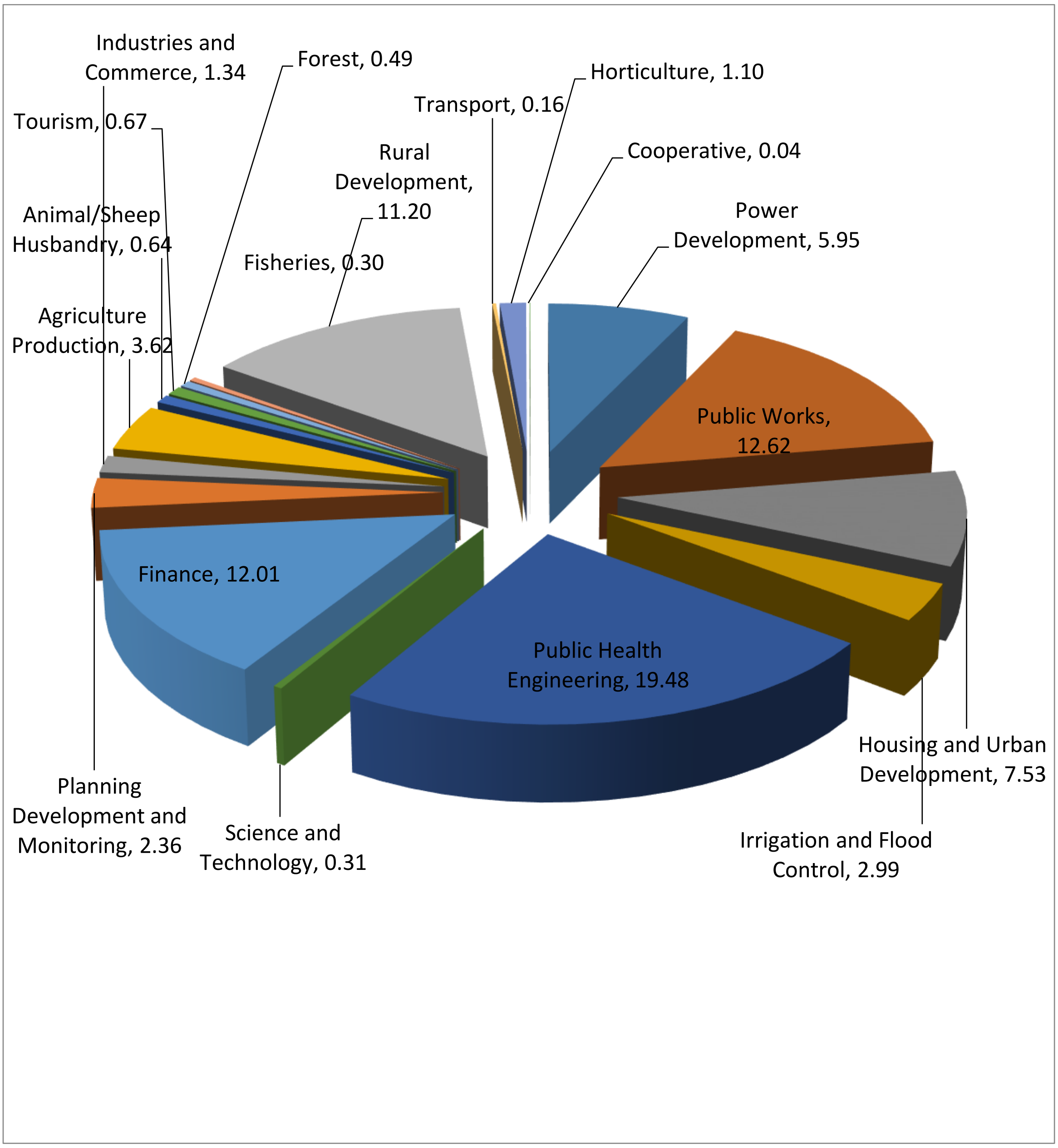

विभाग-वार समग्र राजस्व व्यय (%)
अवसंरचना और आर्थिक/वित्तीय सेक्टर:

ग्राफ: 25

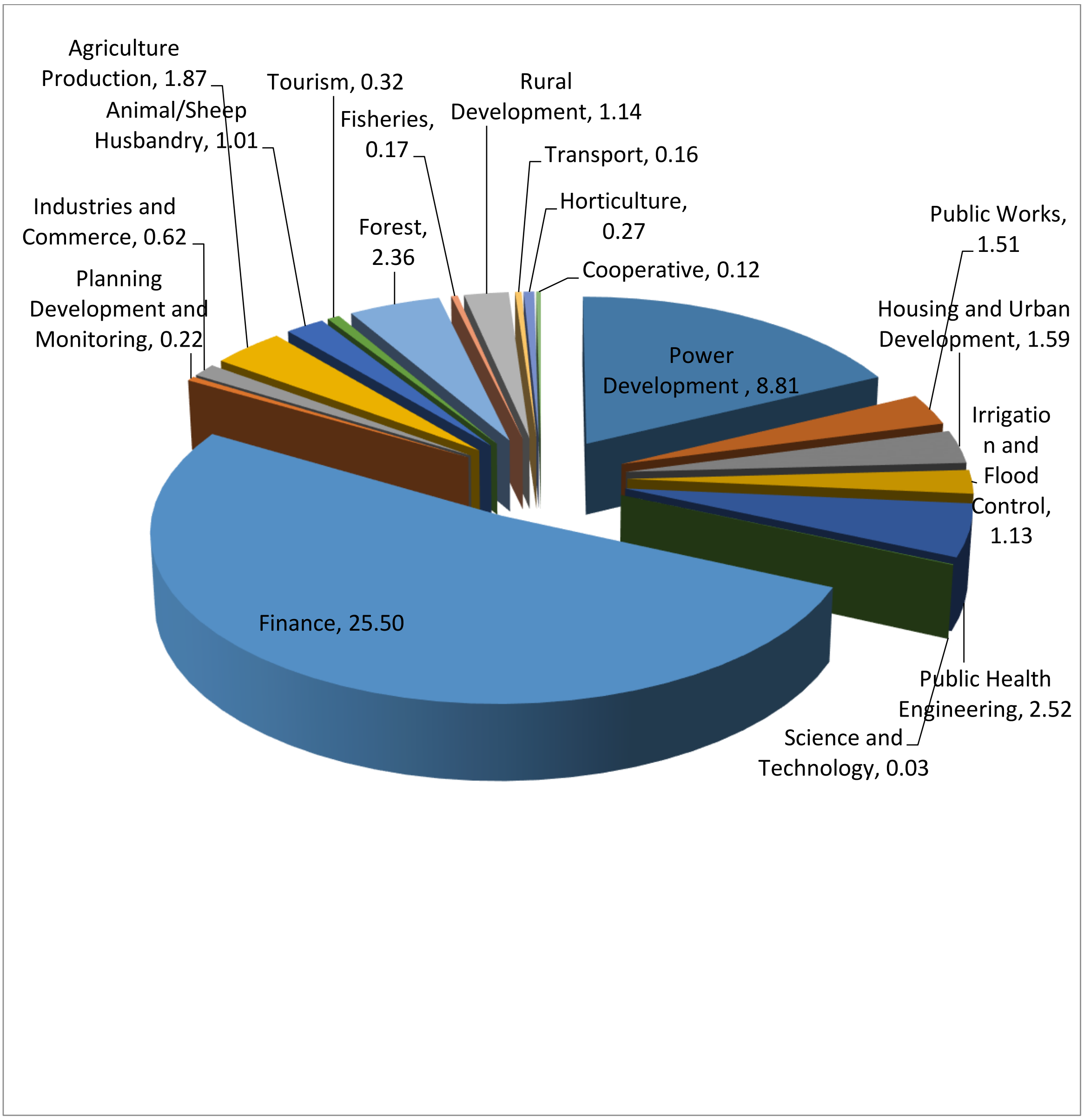

जीडीपी में सेक्टोरल निवेश का योगदान

ग्राफ: 26

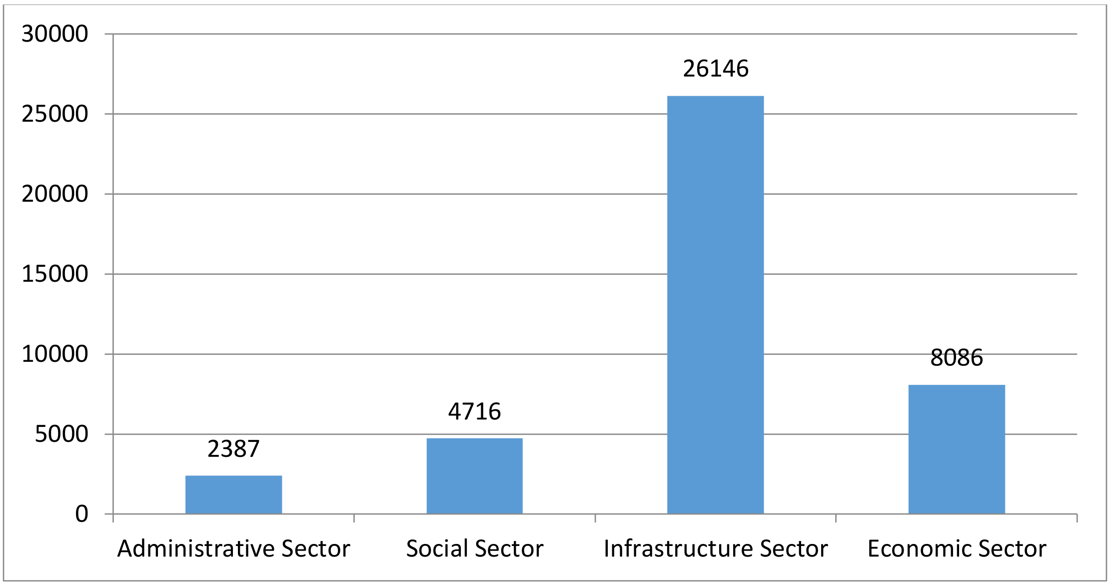

ग्राफ: 27 **%**

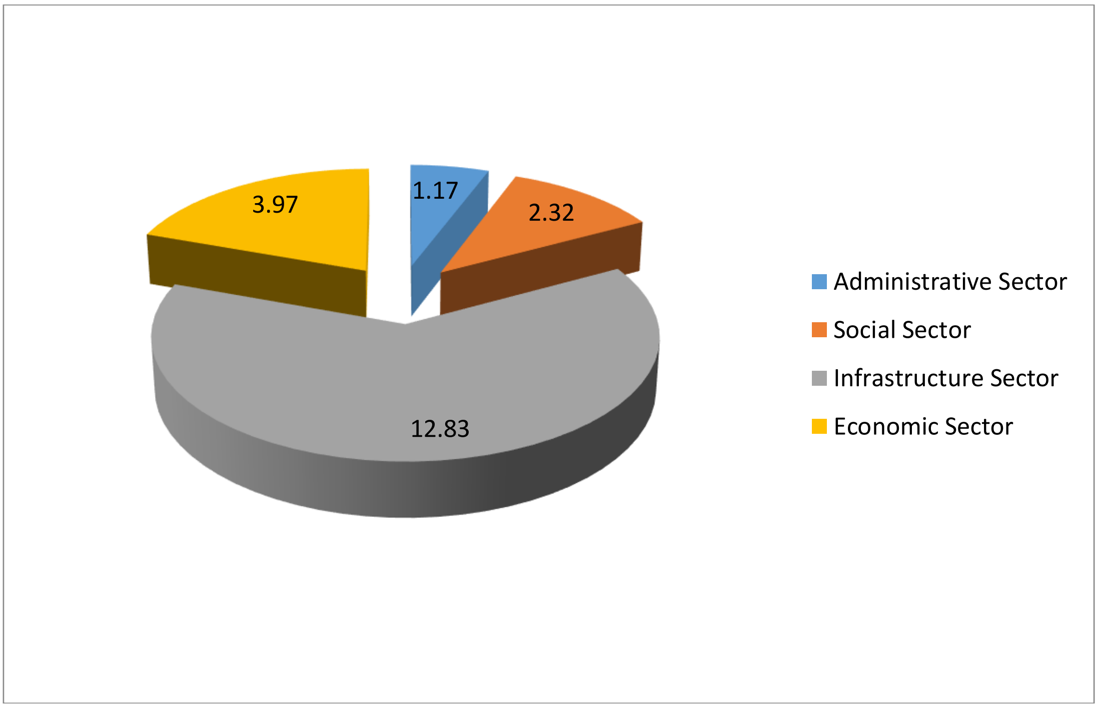

जीडीपी में विभाग-वार निवेश का प्रमुख योगदान

ग्राफ: 28

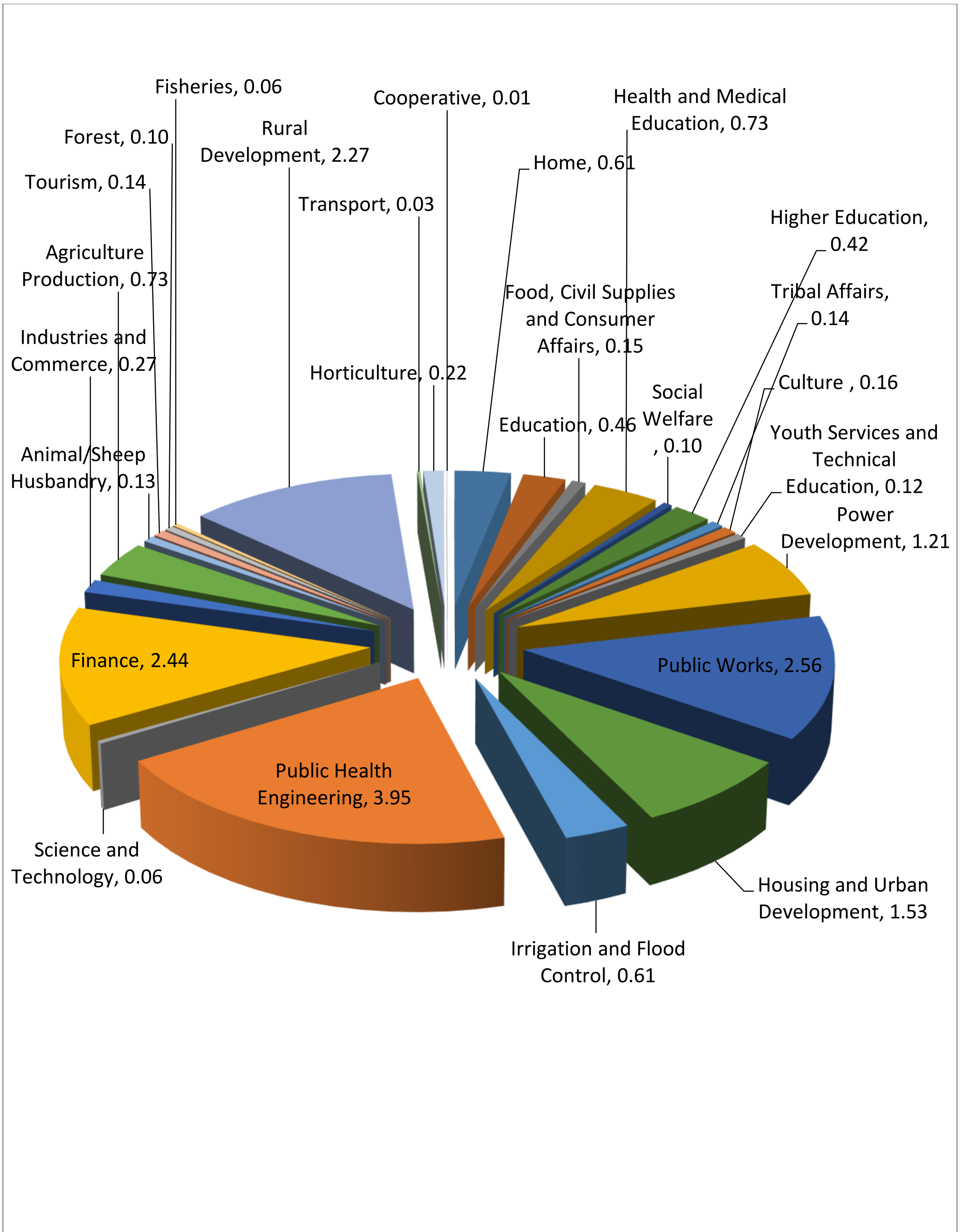

व्यय की बढ़ती प्रवृत्ति : राजस्व और पूंजी
(बजट अनुमान 2021-22 से बजट अनुमान 2022-23)

ग्राफ 29 **%**

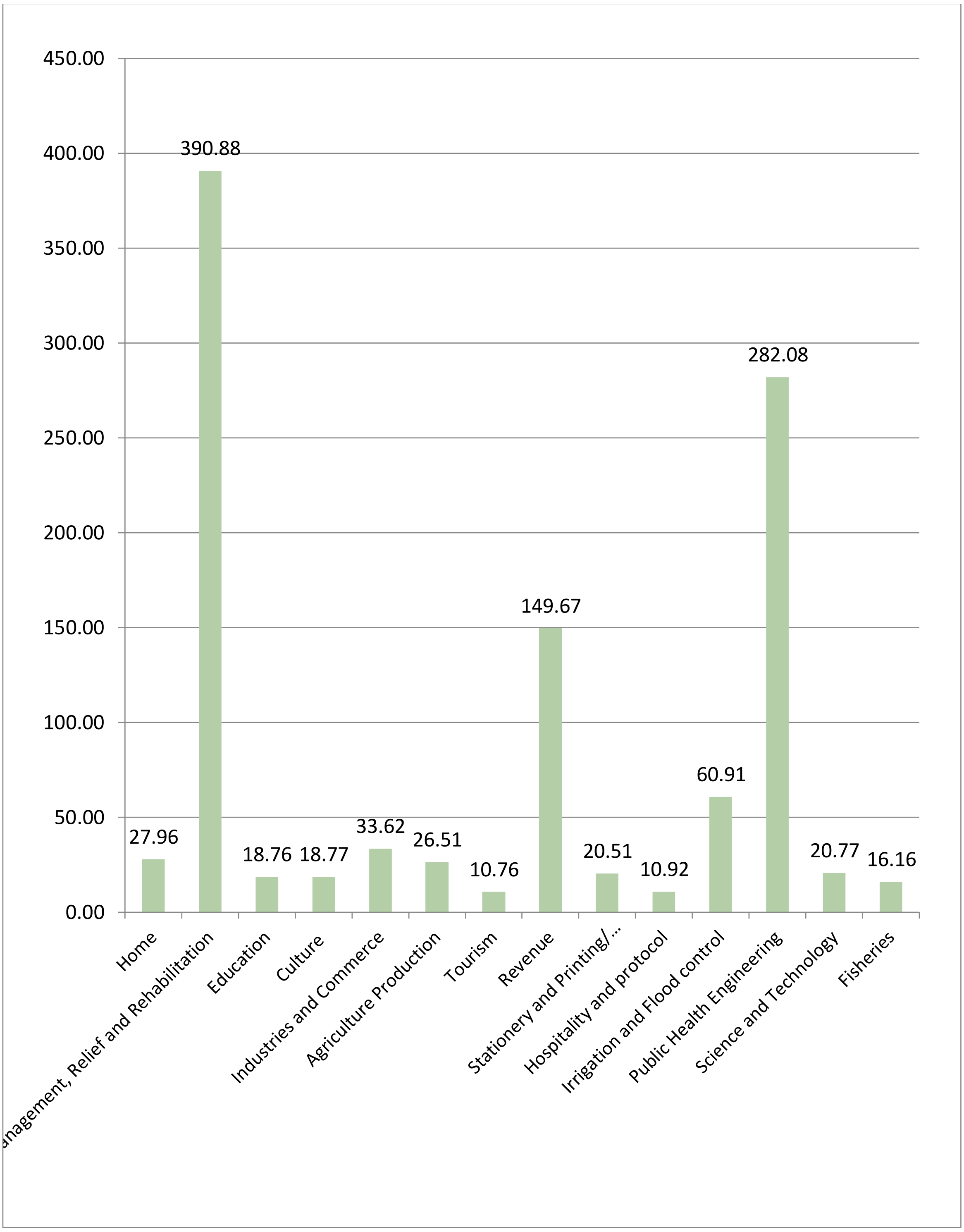

तालिका 10: पिछले 11 वर्षों में ऋण की स्थिति

(करोड़ रुपए में)

वर्ष	आंतरिक ऋण	केंद्र सरकार से ऋण एवं अग्रिम	कुल लोक ऋण	बीमा और पेंशन निधि	भविष्य निधि	अन्य दायित्व*	कुल देयताएं	मौजूदा मूल्यों पर जीएसडीपी	जीएसडीपी की तुलना में कुल देयता का प्रतिशत
								आधार वर्ष 2004-05	
2010-11	*16535	2032	18567	358	6291	4756	29972	58073	52
								आधार वर्ष 2011-12	
2011-12	20789	1903	22692	384	8335	4845	36256	77945	47
2012-13	22796	1839	24635	454	9954	5205	40248	86537	47
2013-14	24715	1775	26490	505	11893	5758	44646	97400	46
2014-15	26525	1675	28200	602	14028	5484	48314	102681	47
2015-16	30452	1579	32031	671	16846	5798	55346	116102	48
2016-17	34018	1489	35507	775	18588	5803	60673	126230	48
2017-18	37418	1405	38823	909	20010	8462	68204	142292	48
2018-19	42222	1292	43514	974	25233	9340	79061	158688	50
2019-20	45465	1237	46702	1006	26156	9709	83573	179866	46
2020-21	52469	1302	53771	1085	27222	10875	92953	176282	53

* ओवर ड्राफ्ट की कमी के लिए 1300 करोड़ रुपए के **one-off** डेब्ट को छोड़कर।

डीइबीटी /जीएसडीपी अनुपात

ग्राफ: 30 **जीडीपी के प्रतिशत के रूप में ऋण**

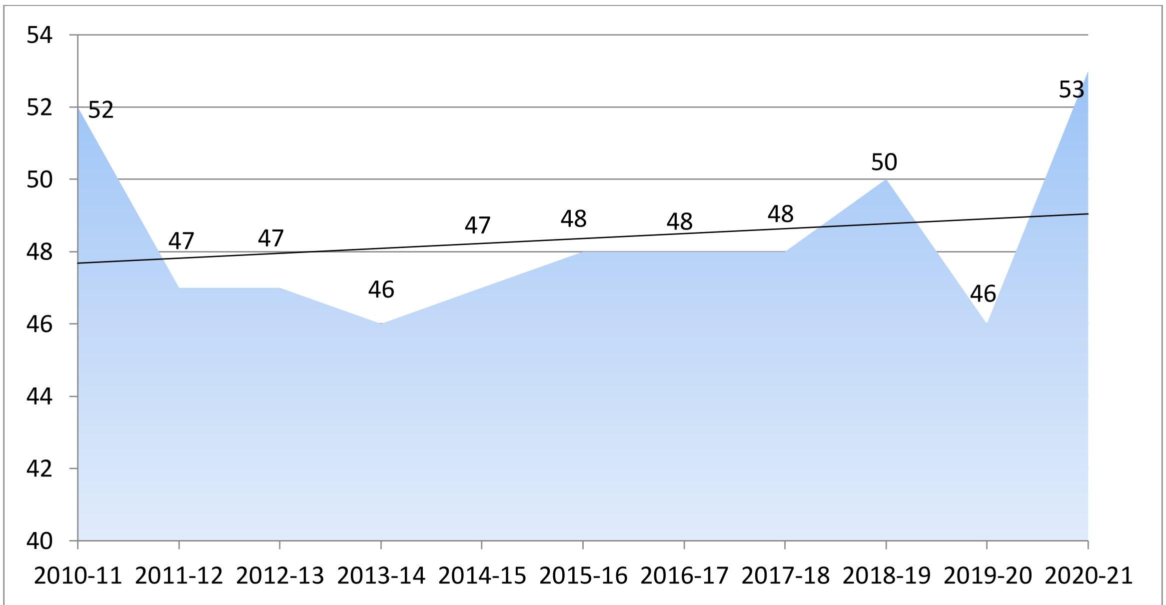

बजट : विभिन्न घटक

बजट के तीन भाग हैं :

1. समेकित निधि
2. लोक लेखा
3. आकस्मिक निधि

समेकित निधि सभी 'सामान्य' बजट लेन-देनों के लिए श्रोत है, चाहे ये लेन-देन पूंजी, राजस्व अथवा ऋण की प्रकृति के हों। कर और कर-भिन्न राजस्व को समेकित निधि में दर्ज किया जाता है तथा समेकित निधि से वहन किए जाने वाला कोई व्यय विधान मण्डल द्वारा स्वीकृत होना चाहिए। 'प्रभारित' प्रकृति के व्ययों को भी समेकित निधि से वहन किया जाता है।

समेकित निधि के भी दो भाग होते हैं :

a) राजस्व लेखा ; और
b) पूंजी लेखा।

राजस्व लेखे में वेतन, मजदूरी, रख-रखाव और मरम्मत, टेलीफोन व्यय, दिन-प्रतिदिन के कार्यालय से संबंधित व्यय तथा अन्य ऊपरी व्ययों जैसे रूटीन प्रशासन के संबंध में होने वाले व्यय शामिल होते हैं। परिसम्पत्तियों के सृजन से संबंधित व्यय, जिनमें अधिकांश (किंतु सभी नहीं) योजनागत व्यय शामिल होता है, पूंजी लेखे में कवर होता है।

राजस्व प्राप्तियां वे समस्त आय होती हैं जिनको देयता की अदायगी पर वहन नहीं किया जाता है। इनमें अपने स्वयं के संसाधनों के अतिरिक्त योजनाओं के वित्तपोषण तथा योजना-भिन्न अनुदानों के लिए केंद्र सरकार से प्राप्त अनुदान शामिल होते हैं।

पूंजी प्राप्तियों में आंतरिक ऋण, केंद्र से प्राप्त ऋण और निगमों, सहकारी समितियों आदि को अग्रिम रूप में दिए गए अपने स्वयं के ऋणों की वसूली शामिल होती है तथा इन्हें पूंजी लेखे में दर्ज किया जाता है। पूंजी लेखे के परिव्यय भाग में अपने स्वयं के निवेश परिव्यय और संवितरणों के सदृश्य व्यय होते हैं, जिनमें लोक ऋण की अदायगी तथा विभिन्न संस्थाओं को दिए गए ऋण और अग्रिम शामिल होते हैं। इस प्रकार समेकित निधि के पूंजी और ऋण दोनों भाग पूंजी बजट के अंतर्गत आते हैं।

लोक-लेखा में वे निधियां शामिल होती हैं जिनका सरकार से संबंध नहीं है किंतु जिन्हें यह अन्य संस्थाओं के लिए विश्वास के रूप में रखती है। इसमें कर्मचारियों की भविष्य निधि, आरक्षित एवं मूल्यह्रास निधि, नगर निगमों से प्राप्त जमा, पेंशन निधि आदि शामिल होंगे। इसे सही रूप में ऐसी निधि कहा जा

सकता है जिनके लिए यह बैंकर के रूप में कार्य करता है।

आकस्मिक निधि अपने नाम के अनुसार आकस्मिक प्रयोग के लिए निधि होती है। इसे बजट में सामान्यत जराक्रांत राशियों और अन्य अप्रत्याशित आकस्मिक खर्चों के लिए शामिल किया जाता है। आकस्मिक निधि से व्यय मंत्रिमंडल की सहमति से ही किया जा सकता है और अत: इसमें यह फायदा है कि बजट प्रक्रिया तथा विधायी अनुमोदन से छूट मिल जाती है; तथापि इस प्रकार हुए व्यय के लिए बाद में विधानमंडल की मोहर लगवाना अनिवार्य होता है। आकस्मिक निधि की मौद्रिक सीमा में बजट प्रक्रिया के माध्यम से कुछ वर्षों बाद वृद्धि की जाती है।

परिभाषाएं :-

1. **राजस्व प्राप्तियां** वे सभी अदायगियां होती हैं जिनको देयता की अदायगी पर वहन नहीं किया जाता है। इनमें अपने स्वयं के राजस्व (कर और कर-भिन्न), केंद्रीय करों में हिस्सा, केंद्र सरकार से सांवधिक और गैर सांवधिक अनुदान शामिल होते हैं। इनमें ब्याज तथा सरकार द्वारा किए गए निवेश पर लाभांश भी शामिल होता है।

2. **राजस्व व्यय** में वेतन और मजदूरी, पेंशन, ब्याज के भुगतान, रख-रखाव और मरम्मत जैसे सभी रूटीन प्रकार के प्रशासनिक व्यय शामिल होते हैं। इसके अतिरिक्त इसमें किराये के भुगतान, कर और अन्य स्थापना संबंधी व्यय जैसे ऊपरी खर्चें भी शामिल होते हैं।

3. **पूंजी प्राप्तियों** में बाजार से लिए गए ऋण, आरबीआई और अन्य संस्थाओं से ली गई उधार राशियां, एनएसएसएफ को जारी की गई विशेष प्रतिभूतियों से प्राप्तियां और अपने स्वयं के ऋणों की वसूली तथा सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में सरकार की हिस्सेदारी के विनिवेश से प्राप्त आय शामिल होती है।

4. **पूंजी व्यय** परिसम्पत्तियों के सृजन से संबंधित होता है। यह भूमि, भवन, संयंत्र और मशीनरी तथा अन्य सभी भौतिक अवसंरचना जैसी स्थाई परिसम्पत्तियों के अधिग्रहण पर निवेश परिव्यय के सुदृश होता है। ऐसे संवितरणों, जिनमें लोक ऋण तथा विभिन्न संस्थाओं को दिए गए ऋण और अग्रिम की अदायगी शामिल होती है, को भी पूंजी व्यय के रूप में लिया जाता है।

5. **विविध पूंजी** प्राप्तियों को गैर ऋण पूंजी प्राप्तियों के रूप में माना जाता है।

6. **प्राथमिक घाटा** वह राजकोषीय घाटा होता है जो राजस्व घटक के अंतर्गत ब्याज के भुगतान तथा ऋण की अदायगी का निवल होता है।

7. **राजस्व घाटा**, राजस्व व्यय और राजस्व प्राप्तियों के बीच का अंतर होता है।

8. **बजट घाटा** कुल व्यय और कुल प्राप्तियों के बीच का अंतर होता है तथा मौद्रीकरण की अनुपस्थिति में इसे जीरो होना होता है। मोनेटाईजेशन रूट तक सरकार की कोई पहुंच नहीं होती है। इनके मामले में बजट घाटा जीरो होना चाहिए।

9. **राजकोषीय घाटा**, कुल व्यय और राजस्व प्राप्तियों, ऋणों और अग्रिमों तथा अन्य गैर ऋण पूंजीगत प्राप्तियों की वसूली के बीच का अंतर होता है।

10. **वित्त विधेयक** में नए कर लगाने, मौजूदा कर ढांचे में आशोधन अथवा मौजूदा कर ढांचे को विधान मण्डल द्वारा अनुमोदित अवधि के बाद जारी रखे जाने के संबंध में सरकार के प्रस्ताव शामिल होते हैं।